रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]	**नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940**
No. 271]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018

सं. एफ. 1–2/2017 (ईसी/पीएस).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (झ) के खंड (ड.) और (छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2010'' (विनियम सं. एफ 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010) तथा समय– समय पर इनमें किए गए सभी संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों को तैयार करता है, नामतः –

1. <u>**लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:**</u>

1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (झ) के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श कर किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, अथवा किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित अथवा निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थान और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान पर लागू होंगे।

1.3 यह विनियम अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।

2. उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के एक उपाय के रूप में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों और निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों की न्यूनतम अर्हताएं इन विनियमों के अनुबंध में दी जाएंगी।

3. यदि कोई विश्वविद्यालय इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन किए जाने अथवा इस प्रकार उपबंधों का पालन करने में असफल रहने पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कारण, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए आयोग, अपनी निधियों में से विश्वविद्यालय को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित अनुदानों को रोक सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय संबंधी विनियम, 2018

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य, आचार्यों और शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं और ऐसे पदों से संबंधित वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का पुनरीक्षण।

1.0 व्याप्ति

इन विनियमों को उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने और वेतनमान की पुनरीक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों और पुस्तकाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद निदेशकों के संवर्गों में नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों हेतु न्यूनतम अर्हताओं के लिए जारी किया गया है।

1.1 विश्वविद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा के संबंध में विधाओं अन्य बातों के साथ– साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा, विशेष शिक्षा, कृषि, पशु चिकित्सा और संबद्ध क्षेत्रों, तकनीकी शिक्षा, अध्यापक शिक्षा में शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संसद के संगत अधिनियम द्वारा स्थापित प्राधिकरणों द्वारा उच्चतर शिक्षा अथवा अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के लिए समन्वय और मानकों का निर्धारण करने के लिए निर्धारित किए गए मानदंड अथवा मानक प्रचलित होंगे,

i. बशर्ते कि, उस स्थिति में जहां किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई मानदंड या मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं, उस स्थिति में उपर्युक्त वि0अ0आ0 विनियम उस समय तक लागू होंगे जब तक कि उपर्युक्त विनियामक प्राधिकारी द्वारा कोई मानक या मानदंड निर्धारित नहीं किए जाएं।

ii. बशर्ते आगे कि, उन विधाओं, जिनमें सहायक आचार्य और समतुल्य पदों पर नियुक्ति, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) के माध्यम से की गई हो, जिसका आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, जैसा भी मामला हो, द्वारा किया गया हो अथवा राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) अथवा राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी), जिन्हें उक्त प्रयोजनार्थ वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित निकायों द्वारा आयोजित किया गया हो उनमें एनईटी/एसईएलटी/एसईटी में अर्हता प्राप्त करना एक अतिरिक्त अपेक्षा होगी।

1.2 प्रत्येक विश्वविद्यालय अथवा सम विश्वविद्यालय संस्थान, जैसा भी मामला हो, यथाशीघ्र किंतु इन विनियमों के लागू होने के छह महीने के भीतर, इन्हें अभिशासित करने वाली संविधियों, अध्यादेश अथवा अन्य सांविधिक उपबंधों में संशोधन के लिए प्रभावी कदम उठाएगा, ताकि इन्हें उपर्युक्त विनियमों के अनुरूप लाया जा सके।

2.0 वेतनमान, वेतन निर्धारण और अधिवर्षिता की आयु भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित वेतनमान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अंगीकार किया जाएगा।

2.1 रिक्त पदों की उपलब्धता और स्वास्थ्य के अध्यधीन सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य और वरिष्ठ आचार्य जैसे शिक्षकों को संबंधित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों में यथा लागू अधिवर्षिता की आयु के उपरांत भी संविदा आधार पर सत्तर वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है।

बशर्ते आगे कि ऐसी सभी पुनर्नियुक्तियां समय–समय पर वि0अ0आ0 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए की जाएंगी।

2.2 वेतनमान की पुनरीक्षा को लागू करने की तिथि दिनांक 01 जनवरी, 2016 होगी।

3.0 नियुक्ति और अर्हताएं

3.1 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य के पदों और विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य के पदों पर सीधी भर्ती अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से गुणावगुण के आधार पर इन विनियमों के तहत किए गए उपबंधों के अंतर्गत विधिवत रूप से गठित चयन समिति द्वारा चयन के आधार पर किया जाएगा। इन उपबंधों को संबंधित विश्वविद्यालय की संविधियों/ अध्यादेशों में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसी समिति की संरचना इन विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के अनुसार होगी।

3.2 सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य, प्राचार्य, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, उप पुस्तकाध्यक्ष, पुस्तकाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद उप निदेशक तथा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक के पदों के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं वि0अ0आ0 द्वारा इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

3.3

I. जहां कहीं भी इन विनियमों में यह उपबंधित हो, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा प्रत्यायित परीक्षा (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा एसएलईटी/एसईटी) सहायक आचार्य और समकक्ष पदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता बनी रहेगी, इसके अतिरिक्त, एसएलईटी/एसईटी केवल संबंधित राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता के रूप में मान्य होगाः

बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, को किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्थान में सहायक आचार्य या समकक्ष पद पर भर्ती या नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी।

बशर्ते आगे कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल/ पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना, उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों/उपनियमों/ विनियिमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होगा। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्रदान की जाएगीः

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा प्रदान किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य को दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ड.) अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ आईसीएसएसआर/ सीएसआईआर अथवा ऐसी की किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों/ विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए।

II. ऐसे विषयों में एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी को उत्तीर्ण करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नहीं होगा जिनके लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी आयोजित नहीं की गई हो।

3.4 किसी भी स्तर पर शिक्षकों और अन्य समान संवर्गों की सीधी भर्ती के लिए निष्णात स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) अनिवार्य योग्यताएं होंगी।

I. सीधी भर्ती हेतु अर्हता के उद्देश्य और बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) (असंपन्न वर्ग)/ निशक्त {(क) दृष्टिहीनता अथवा निम्न दृश्यता; (ख) बधिर और कम सुनाई देना; (ग) लोकोमोटर निशक्ता साथ ही सेरेब्रल पालसी, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, अम्लीय हमले के पीड़ित और मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी; (घ) विचार भ्रम (आटिज्म), बौद्धिक निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता; (ड.) गूंगापन– अंधापन सहित (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से बहु निशक्तता) से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत के पात्रता अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) और रियायत अंक प्रक्रिया सहित, यदि कोई हो तो, के आधार पर अर्हता अंक में उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमेय है।

3.5 उन पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत अंक से कम करके 50 प्रतिशत अंक तक) की छूट प्रदान की जाएगी जिन्होंने दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व निष्णात उपाधि प्राप्त की है।

3.6 एक संगत ग्रेड जिसे निष्णात स्तर पर 55 प्रतिशत के समरूप माना जाता है, जहां कहीं भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, को भी वैध माना जाएगा।

3.7 आचार्य के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

3.8 सह आचार्य के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पीएचडी की उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

3.9 विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य (चयन ग्रेड/ शैक्षणिक स्तर 12) के पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी की उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

3.10 दिनांक 01 जुलाई, 2021 से विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

3.11 शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए दावे हेतु एमफिल और/ अथवा पीएचडी उपाधि प्राप्त करने में अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए समय पर शिक्षण/ अनुसंधान अनुभव के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कोई अवकाश लिए बिना शिक्षण कार्य के साथ अनुसंधान उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गई सक्रिय सेवा अवधि को सीधी भर्ती/ पदोन्नति के उद्देश्य के लिए शिक्षण अनुभव माना जाएगा। कुल संकाय संख्या (चिकित्सा/ मातृत्व छुट्टी पर गए संकाय सदस्यों के अलावा) के बीस प्रतिशत तक नियमित

आधार पर कार्यरत संकाय सदस्यों को अपनी संस्थाओं में पीएचडी की उपाधि के लिए अध्ययन छुट्टी लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

3.12 **अर्हताएं:**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालयों सहित कोई विश्वविद्यालय अथवा कोई संस्थान अथवा उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक, पुस्तकाध्यक्ष अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी जबतक कि व्यक्ति इन विनियमों की अनुसूची 1 में उपर्युक्त पद के लिए यथा उपबंधित अर्हताओं के रूप में अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो।

4.0 **सीधी भर्ती**

4.1 **कला, वाणिज्य, मानविकी, शिक्षा, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और पत्रकारिता तथा जन संपर्क विधाओं के लिए**

I. सहायक आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख):

क.

i) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित /संगत/ संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि।

ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ–साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी /एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएचडी उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी से छूट प्रदान की जाएगी:

बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल/ पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/ उपनियमों/ विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी :-

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ड.) अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0/ आईसीएसएसआर/ सीएसआईआर अथवा ऐसी की किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों/ विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।

नोट: ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए एनईटी/एसएलईटी/ एसईटी अर्हता अपेक्षित नहीं होगी जिनमें वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा जैसे एनईटी/ एसएलईटी आदि आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. (i) क्वैक्वेरेली सायमंड (क्यूएस) (ii) दि टाइम्स हॉयर एजूकेशन (टीएचई) अथवा (iii) शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी (शंघाई) के विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यू) द्वारा संपूर्ण विश्व में विश्वविद्यालय रैंकिग में विश्व के शीर्षतम 500

रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय/ संस्थान (किसी भी समय) से पीएचडी की उपाधि निम्नलिखित में से किसी एक से प्राप्त की गई हो।

नोट: विश्वविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका 3क) और महाविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका 3ख) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांकों पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित होगा।

II. सह आचार्य:

अर्हता:

i) संबंधित/ संबद्ध/ संगत विधाओं में पीएचडी की उपाधि के साथ बेहतरीन शैक्षणिक रिकार्ड।

ii) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां, प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

iii) किसी भी शैक्षणिक/ अनुसंधान पद पर शिक्षण और/ अथवा अनुसंधान में न्यूनतम आठ वर्षों का अनुभव जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान/ उद्योग में सहायक आचार्य के समान हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम सात प्रकाशनों का अनुभव और परिशिष्ट दो, तालिका 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार अनुसंधान में कुल पचहत्तर (75) अंकों के अनुसंधान प्राप्तांक।

III. आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख) :

क.

i) प्रतिष्ठित विद्वान जिसे संबंधित/ संबद्ध/ संगत विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो तथा प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ– साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम दस वर्षों का प्रकाशन अनुभव एवं परिशिष्ट– II, तालिका दो में दिए गए मानदंडों के अनुसार कुल 120 शोध प्राप्तांक अर्जित किए हों।

ii) विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में सहायक आचार्य/ सह आचार्य/ आचार्य स्तर पर न्यूनतम दस वर्ष का शैक्षणिक अनुभव और/ अथवा विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप से डाक्टोरल अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का साक्ष्य हो।

अथवा

ख. उपर्युक्त– क/ उद्योग में शामिल नहीं किए गए किसी भी संस्थान से संगत/ संबद्ध/ अनुप्रयुक्त विधाओं में पीएचडी की उपाधि प्राप्त तथा दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित उत्कृष्ट पेशेवर जिन्होंने संबंधित/ संबद्ध/ संगत विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, बशर्ते कि उसे दस वर्षों के अनुभव हो।

IV. विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य

विश्वविद्यालय में आचार्यों की विद्यमान संस्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत संख्या तक सीधी भर्ती के माध्यम से विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है।

पात्रता:

i) कोई प्रतिष्ठित विद्वान जिसका समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान प्रकाशन का बेहतर निष्पादन रिकार्ड हो तथा इन विधाओं में महत्वपूर्ण अनुसंधान योगदान और अनुसंधान पर्यवेक्षण किया हो।

ii) किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा राष्ट्रीय स्तर की किसी संस्थान में आचार्य के रूप में अथवा समतुल्य ग्रेड में शिक्षण/ अनुसंधान का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो।

iii) यह चयन शैक्षणिक उपलब्धियों, तीन प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ, जो वरिष्ठ आचार्य के पद से कम न हों, अथवा कम से कम दस वर्ष के अनुभव वाले आचार्य की अनुकूल समीक्षा पर आधारित होगा।

iv) यह चयन, समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 के सूचीबद्ध जर्नलों में सर्वोत्तम दस प्रकाशनों और वि0अ0आ0 विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति के साथ सहक्रिया के साथ– साथ पिछले 10 वर्षों के दौरान उनकी पर्यवेक्षण में कम से कम दो अभ्यर्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदत्त किए जाने पर आधारित होगा।

V. **महाविद्यालय प्राचार्य और आचार्य (प्राचार्य का ग्रेड)**

क. पात्रताः

i.) पीएचडी की उपाधि।

ii.) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में कम से कम पंद्रह वर्षों के शिक्षण/ अनुसंधान की सेवा/ अनुभव के साथ कोई आचार्य/ सह आचार्य।

iii.) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम 10 अनुसंधान प्रकाशन।

iv.) परिशिष्ट II, तालिका 2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक।

ख. अवधि

(i) किसी महाविद्यालय प्राचार्य को पांच वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसका कार्यकाल इन विनियमों के अनुसार इस विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के आधार पर पांच वर्ष की दूसरी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(ii) प्राचार्य के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात्, पदधारी, आचार्य के ग्रेड में आचार्य के पदनाम के साथ अपने मूल कार्यालय में पुनः कार्यभार ग्रहण करेगा।

VI. **उप प्राचार्य**

किसी मौजूदा वरिष्ठ संकाय सदस्य को दो वर्षों की अवधि के लिए प्राचार्य की सिफारिश पर महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा उप प्राचार्य के रूप में पदनामित किया जा सकता है जिन्हें उनके मौजूदा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त विशिष्ट कार्य सौंपे जा सकते हैं। किसी भी कारण से, प्राचार्य के अनुपस्थित होने पर उप प्राचार्य, प्राचार्य के शक्तियों का प्रयोग करेगा।

4.2. संगीत, परफार्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और अन्य परंपरागत भारतीय कला स्वरूपों यथा शिल्पकला आदि।

I. सहायक आचार्यः

पात्रता (क अथवा ख):

क.

i) किसी भारतीय/ विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ–साथ अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0 अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी/ एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो।

बशर्ते आगे कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल/ पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/ उपनियमों/ विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी :-

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ड.) अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0/ एआईसीटीई/ आईसीएसएसआर/ सीएसआईआर अथवा ऐसी की किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों/ विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किए हों;

नोट 1: *इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए।*

नोट 2: ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए एनईटी/एसएलईटी/ एसईटी उत्तीर्ण किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा (जैसे एसईएलटी/ एसईटी) आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. एक परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विधा में अत्यंत उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो और जिन्हें स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, जिन्होंने:

i) प्रसिद्ध परंपरागत उस्ताद(दों)/ कलाकार(रों) के अधीन अध्ययन किया हो।

ii) वह आकाशवाणी/ दूरदर्शन में 'क' श्रेणी का कलाकार रहा हो;

iii) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो; और

iv) संबंधित विधा में सदोहारण सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

II. सह आचार्य :

पात्रता (क अथवा ख):

क.

i) डोक्टोरल उपाधि के साथ बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड।

ii) उच्च पेशेवर मानक के साथ कार्यनिष्पादन क्षमता।

iii) किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में शिक्षण कार्य में आठ वर्ष का अनुभव और/ अथवा किसी विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अनुसंधान में आठ वर्ष का अनुभव जोकि किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में सहायक आचार्य के समतुल्य हो।

iv) उन्होंने गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन द्वारा यथा प्रमाणित संबंधित विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

अथवा

ख. एक परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि हो और जिन्हें संबंधित विषय में निष्णात उपाधि प्राप्त की हो, जो:

i) आकाशवाणी / दूरदर्शन में 'क' श्रेणी का कलाकार रहा हो;

ii) विशेषज्ञता के क्षेत्र में आठ वर्ष की उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन उपलब्धि रही हो;

iii) नए पाठ्यक्रम और/ अथवा पाठ्यचर्या का तैयार करने का अनुभव रहा हो;

iv) प्रसिद्ध संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों /संगीतगोष्ठियों में भाग लिया हो; और

v) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो और उक्त विधा में सदोहारण सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

III. आचार्य :

पात्रता (क अथवा ख):

क.

i) डॉक्टोरल उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान।

ii) विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षण और/ अथवा विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में अनुसंधान में कम से कम दस वर्ष के अनुभव के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे हों।

iii) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम 6 अनुसंधान प्रकाशित हुए हों।

iv) परिशिष्ट– II, तालिका– दो के अनुसार अनुसंधान में कुल 120 प्रप्तांक हों।

अथवा

ख. एक परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो,

i) संबंधित विषय में निष्णात उपाधि धारक हो;

ii) आकाशवाणी / दूरदर्शन का 'क' श्रेणी का कलाकार रहा हो;

iii) विशेषज्ञता के क्षेत्र में दस वर्ष का उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन की उपलब्धि रही हो;

iv) विशेषज्ञता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और अनुसंधान में मार्गदर्शन करने की क्षमता हो;

v) राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय विचार गोष्ठियों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं / संगीतगोष्ठियों में भागीदारी की हो और राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार / अध्येतावृत्तियां प्राप्त की हों;

vi) संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो; और

vii) उक्त विधा में सदोहारण सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

4.3 नाट्य विधाः

I. सहायक आचार्य

पात्रता (क अथवा ख)

क.

i) भारतीय / विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ– साथ अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0 अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी / एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल / पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो।

बशर्ते आगे कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल / पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों / उपनियमों / विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी / एसएलईटी / एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी :-

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ड.) अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0 / सीएसआईआर / आईसीएसएसआर अथवा ऐसी की किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित / वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों / विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

नोट 1: *इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए।*

नोट 2: ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए एनईटी / एसएलईटी / एसईटी उत्तीर्ण किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा एनईटी / एसएलईटी / एसईटी अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा (जैसे एसईएलटी / एसईटी) आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. संबंधित विषय में उच्च उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रखने वाला कोई परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसके पासः

i) भारतीय नाट्य विद्यालय अथवा भारत या विदेश में किसी अन्य ऐसी ही संस्थान से 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समान ग्रेड की उपाधि) के साथ तीन वर्षीय स्नातक की उपाधि/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उपाधि के साथ पेशेवर कलाकार रहा हो;

ii) साक्ष्य सहित क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पांच वर्ष का नियमित रूप से प्रशंसनीय कार्यनिष्पादन रहा हो; और

iii) संबंधित विषय की तार्किक रूप से व्याख्या करने की क्षमता हो और संबंधित विधा में सदोहारण सिद्धांत पक्ष को पढ़ाने की पर्याप्त जानकारी हो।

II. सह आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख) :

क.

i) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा अनुप्रमाणित उच्च पेशेवर मानकों के कार्यनिष्पादन की क्षमता के साथ पीएचडी की उपाधि सहित उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड रहा हो।

ii) किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षण कार्य में आठ वर्ष का अनुभव और/ अथवा किसी विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में शोध कार्य में आठ वर्ष का अनुभव रहा हो जोकि किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के सहायक आचार्य के समतुल्य हो।

iii) गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन द्वारा यथा प्रमाणित, संबंधित विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

अथवा

ख. एक परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो और जिन्हें संबंधित विषय में निष्णात उपाधि प्राप्त की हो, जोः

i) रंगमंच/ रेडियो/ टेलीविजन में जाना– माना कलाकार रहा हो;

ii) विशेषज्ञता के क्षेत्र में आठ वर्ष की उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन उपलब्धि रहा हो;

iii) नए पाठ्यक्रम और/ अथवा पाठ्यचर्या का तैयार करने का अनुभव रहा हो;

iv) प्रख्यात संस्थाओं में संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में भाग लिया हो; और

v) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो और उक्त विधा में सदोहारण सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

III. आचार्य

पात्रता (क अथवा ख) :

क. डॉक्टरेट की उपाधि सहित अनुसंधान कार्य से सक्रिय रूप से जुड़े प्रख्यात विद्वान हो और विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन उपलब्धियों के साथ डॉक्टरेट स्तर पर अनुसंधान मार्गदर्शन प्रदान करने में अनुभव सहित विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में शिक्षण और/ अथवा अनुसंधान में दस वर्ष का अनुभव हो साथ ही समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम 6 अनुसंधान प्रकाशन एवं परिशिष्ट– II, तालिका– दो में दिए गए मानदंडों के अनुसार शोध में कुल 120 अंक प्राप्त किए हों।

अथवा

ख. एक परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो और जिनके पासः

i) संगत विषय में निष्णात उपाधि हो;

ii) विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में दस वर्ष की उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन उपलब्धि रही हो;

iii) उत्कृष्टता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया हो ;

iv) अनुसंधान में मार्गदर्शन प्रदान किया हो;

v) राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं में भागीदारी की हो और/ अथवा राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार/ अध्येतावृत्तियां प्राप्त की हों;

vi) संबंधित विषय को तार्किक रूप से स्पष्ट करने की क्षमता हो;

vii) उक्त विषय में उदाहरणों सहित सिद्धांत को पढ़ाने हेतु पर्याप्त ज्ञान हो।

4.4 योग विधा

I. सहायक आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख) :

क. भारतीय/ विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ योग अथवा अन्य संगत विषय में निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो उस स्थिति में प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) सहित अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो।

इसके साथ–साथ, उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0 अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही परीक्षा यथा एसएलईटी/ एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो।

अथवा

ख. किसी भी विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि धारक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, उस स्थिति में प्वॉइंट स्केल में समान ग्रेड) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमें किए गए संशोधन, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप योग* में पीएचडी की उपाधि धारक हो।

* नोट: योग के इस नए उभरते क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए यह विकल्प दिया गया है और यह इन विनियमों के अधिसूचना की तिथि से केवल पांच वर्षों के लिए ही मान्य होगा।

II. सह आचार्य

i) संबंधित विषय अथवा संगत विषय में पीएचडी उपाधि के साथ बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड।

ii) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, उस स्थिति में प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) प्राप्त की हो।

iii) किसी शैक्षणिक/ अनुसंधान पद जो, किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान/ उद्योग में सहायक आचार्य के समतुल्य हो, में प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित न्यूनतम आठ वर्ष का शिक्षण कार्य और/ अथवा अनुसंधान का अनुभव हो और पुस्तकों के रूप में और/ अथवा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अनुसंधान/ नीतिगत पत्रों अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम सात प्रकाशन किए हों और परिशिष्ट–II, तालिका– 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार कम से कम पचहत्तर (75) कुल अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।

III. आचार्य

पात्रता (क और ख) :

क.

i) संबद्ध/ संगत विषय में पीएचडी की उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो, प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से जुड़े हों, और प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित पुस्तकों के रूप में और/ अथवा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अनुसंधान/ नीतिगत पत्रों अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस प्रकाशन किए हों और परिशिष्ट– II, तालिका– 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार कम से कम 120 कुल अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।

ii) किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में न्यूनतम दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर की संस्थानों/ उद्योगों में अनुसंधान का अनुभव हो और डॉक्टोरल अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।

अथवा

ख. संगत क्षेत्र में प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त उत्कृष्ट पेशेवर जिन्होंने प्रत्यायन द्वारा अभिपुष्टि किए जाने वाले संबंधित /संबद्ध / संगत विषय में ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

4.5 पेशे से जुड़े रोगोपचार के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, अनुभव और अन्य पात्रता संबंधी अपेक्षाएं

I. सहायक आचार्य:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहां प्वॉइट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पेशे से जुड़े रोगोपचारों में स्नातक उपाधि (बी.ओ.टी./ बी.टीएच.ओ./ बी.ओ.टीएच.), पेशे से जुड़े रोगोपचारों में निष्णात उपाधि (एम.ओ.टीएच./ एम.टीएच.ओ./एम.एससी. ओ.टी./ एम.ओ.टी.)।

II. सह आचार्य:

i) अनिवार्यः सहायक आचार्य के रूप में आठ वर्ष के अनुभव के साथ पेशे से जुड़े रोगोपचारों में निष्णात उपाधि (एम.ओ.टी/एम. ओ.टीएच./एम.ओ.टीएच./एम.एससी.ओ.टी.)।

ii) वांछनीयः वि0अ0आ0 द्वारा मान्यता प्राप्त पेशे से जुड़े रोगोपचारों की किसी भी विधा में पीएचडी की उपाधि सहित उच्च योग्यता और समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानकों का प्रकाशन कार्य।

III. आचार्य:

i) अनिवार्यः पेशे से जुड़े रोगोपचारों में कुल दस वर्ष के अनुभव के साथ पेशे से जुड़े रोगोपचारों में निष्णात उपाधि (एम.ओ.टीएच. /एम.टीएच.ओ /एम. एससी. ओ.टी.)।

ii) वांछनीय: वि0अ0आ0 द्वारा मान्यता प्राप्त पेशे से जुड़े रोगोपचारों की किसी विधा में पीएचडी की उपाधि जैसी उच्च योग्यता और समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानकों का प्रकाशन कार्य।

IV. प्राचार्य/ निदेशक/संकाय अध्यक्ष:

अनिवार्यः पंद्रह वर्षों के अनुभव के साथ पेशे से जुड़े रोगोपचारों में निष्णात उपाधि (एमओटी/ एम.टीएच.ओ./ एम.ओटीएच./ एम. एससी.ओ.टी.) जिसमें आचार्य (पेशे से जुड़े रोगोपचारों) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

नोट:

(i) संस्थान के वरिष्ठतम आचार्य को प्राचार्य/ निदेशक/ संकाय अध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(ii) वांछनीयः वि0अ0आ0 द्वारा मान्यता प्राप्त पेशे से जुड़े रोगोपचारों की किसी विधा में पीएचडी की उपाधि जैसी उच्च अर्हता और समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानक वाले प्रकाशन कार्य।

4.6 भौतिक चिकित्सा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, अनुभव और अन्य पात्रता संबंधी अपेक्षाएं।

I. सहायक आचार्य:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिग प्रणाली लागू है, वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि (बीपी/टी./बी. टीएच./ बी.पी.टीएच.), भौतिक चिकित्सा में निष्णात उपाधि (एम. एंड पी. टीएच/एम.टीएच. पीटी/एम. पी.टी.)।

II. सह आचार्य:

i) अनिवार्य: सहायक आचार्य के रूप में आठ वर्षों के अनुभव के साथ भौतिक चिकित्सा में निष्णात उपाधि (एम.पी.टी./एम.पी. टीएच./एम.टीएच.पी./एम.एससी.पी.टी.)।

ii) वांछनीयः वि0अ0आ0 द्वारा मान्यता प्राप्त भौतिक चिकित्सा की किसी विधा में पीएचडी की उपाधि के रूप में उच्च अर्हता एवं समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानक वाला प्रकाशन कार्य।

III. आचार्य:

अनिवार्य: दस वर्ष के अनुभव के साथ भौतिक चिकित्सा में निष्णात उपाधि (एम.पी.टी./ एम.पी.टीएच./एम.टीएच.पी./ एम.एससी.पी. टी.)।

वांछनीय:

(i) वि0अ0आ0 द्वारा किसी मान्यता प्राप्त भौतिक चिकित्सा विधा में पीएचडी जैसी उच्चतर शिक्षा, और

(ii) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानक वाला प्रकाशन कार्य।

IV. प्राचार्य/ निदेशक/ संकाय अध्यक्ष:

अनिवार्यः प्राचार्य (भौतिक चिकित्सा) के रूप में पांच वर्षों के अनुभव के साथ पंद्रह वर्षों के कुल अनुभव सहित भौतिक चिकित्सा में निष्णात उपाधि (एम. पी. टी./ एम. टीएच. पी./ एमपी.टीएच./ एम.एससी.पी.टी.)।

नोट:

(i) वरिष्ठतम आचार्य को प्राचार्य/ निदेशक/ संकाय अध्यक्ष के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाएगा।

(ii) वांछनीयः वि0अ0आ0 द्वारा मान्यता प्राप्त भौतिक चिकित्सा की किसी विधा में पीएचडी जैसी उच्च अर्हता और समकक्ष व्यक्ति समीक्षित तथा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानक वाला प्रकाशन कार्य।

4.7 विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष, विश्वविद्यालय उप पुस्तकाध्यक्ष और विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं।

I. विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष

i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां ग्रेडिग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान अथवा प्रलेखन विज्ञान में निष्णात उपाधि अथवा समतुल्य पेशेवर उपाधि ।

ii) पुस्तकालय में कंप्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ सतत् रूप से बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड।

iii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा, अभ्यर्थी को वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय– समय पर इनमें किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो:

बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएचडी की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/ उपविधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएचडी अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी:–

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हों जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ड.) अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0/ आईसीएसएसआर/ सीएसआईआर अथवा इसी प्रकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों/ विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किए हों।

नोट

i. इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

ii .ऐसे निष्णात कार्यक्रमों में एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी अथवा वि0अ0आ0 द्वारा एसएलईटी/ एसईटी जैसी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती हो।

II. विश्वविद्यालय उप पुस्तकाध्यक्ष

i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखन विज्ञान में निष्णात उपाधि अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू है वहां प्वाइंट स्केल में समान ग्रेड प्राप्त किया हो।

ii) सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष के रूप में आठ वर्षों का अनुभव।

iii) पुस्तकालय में आईसीटी के समेकन के साथ नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं का साक्ष्य।

iv) पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखन विज्ञान/ अभिलेख और पुस्तकालय की पांडुलिपियों का रखरखाव/ कंप्यूटरीकरण करने में पीएचडी की उपाधि।

III. विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष

i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू है वहां प्वाइंट स्केल में समान ग्रेड के साथ पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखन विज्ञान में निष्णात उपाधि।

ii) विश्वविद्यालय पुस्तकालय में किसी भी स्तर पर पुस्तकाध्यक्ष के रूप में कम से कम दस वर्षों का अनुभव अथवा पुस्तकालय विज्ञान में सहायक/ सह आचार्य के रूप में दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा किसी महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष के रूप में दस वर्षों का अनुभव।

iii) किसी पुस्तकालय में आईसीटी के समेकन के साथ नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं का साक्ष्य।

iv) पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखन/ अभिलेख और पांडुलिपि के रखरखाव में पीएचडी की उपाधि।

4.8 शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के सहायक निदेशकों एवं शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के उपनिदेशक तथा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के निदेशक (डीपीईएस) के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं।

I. विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के सहायक निदेशक तथा महाविद्यालय में शारीरिक और खेलकूद के निदेशक

पात्रता (क अथवा ख):

क.

i) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान में 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ निष्णात उपाधि ।

ii) अंतर्विश्वविद्यालयी/ अंतर्महाविद्यालयी प्रतिस्पर्धाओं अथवा राज्य और/ अथवा राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड।

iii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा, अभ्यर्थी को वि0अ0आ0 अथवा सीएसआईआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा एसएलईटी/ एसईटी उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय– समय पर इनमें किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेल विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो:

बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएचडी की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/ उपविधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगीः

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्रय परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ड.) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर सम्मेलन/ विचार गोष्ठियों में कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो।

नोटः (क) से (ड.) में दी गई इन शर्तों पर खरा उतरने के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना होता है।

iv) ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों में एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी अथवा वि0अ0आ0 द्वारा एसएलईटी/ एसईटी जैसी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती हो।

v) इन विनियमों के अनुसार आयोजित की गई शारीरिक फिटनेस परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अथवा

ख. एशियाई खेल अथवा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता, जिनके पास कम से कम स्नात्कोत्तर स्तर की उपाधि हो।

II. विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद उप निदेशक

पात्रता (क अथवा ख) :

क.

i) शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेलकूद विज्ञान में पीएचडी की उपाधि। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय प्रणाली से इतर अभ्यर्थी जिनके पास संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्नात्कोत्तर उपाधि स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक हो (अथवा जहां ग्रेडिग प्रणाली लागू हो, वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

ii) विश्वविद्यालय सहायक डीपीईएस/ महाविद्यालय डीपीईएस के रूप में आठ वर्ष का अनुभव हो।

iii) कम से कम दो सप्ताह की अवधि की प्रतिस्पर्धाएं और अनुशिक्षण शिविर के आयोजन संबंधी साक्ष्य।

iv) राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतर्विश्वविद्यालयी/ संयुक्त विश्वविद्यालय आदि जैसी प्रतिस्पर्धाओं के लिए दलों/एथलिटों द्वारा बेहतर निष्पादन कराने के साक्ष्य आदि।

v) इन विनियमों के अनुसार शारीरिक स्वस्थता जांच परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अथवा

ख. ओलंपिक खेलों/ विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता, जिन्होंने कम से कम स्नात्कोत्तर स्तर की उपाधि प्राप्त की हो।

III. विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक

i) शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेलकूद विज्ञान में पीएचडी धारक।

ii) विश्वविद्यालय सहायक/ उप डीपीईएस के रूप में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में कम से कम दस वर्ष का अनुभव अथवा महाविद्यालय डीपीइएस के रूप में दस वर्ष का अनुभव अथवा सहायक/ सह आचार्य के रूप में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेलकूद विज्ञान में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।

iii) कम से कम दो सप्ताह की अवधि की प्रतियोगिता और अनुशिक्षण कैम्पों को आयोजित किए जाने का साक्ष्य।

iv) राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतर्विश्वविद्यालय/ संयुक्त विश्वविद्यालय आदि जैसी प्रतियोगिताओं के लिए दलों/ खिलाड़ियों द्वारा बेहतर निष्पादन कराए जाने संबंधी साक्ष्य।

IV. शारीरिक स्वस्थता जांच संबंधी मानदंड

(क) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन सभी अभ्यर्थी जिनके लिए शारीरिक स्वस्थता जांच कराना अपेक्षित है, उन्हें ऐसी जांच करवाने से पूर्व एक चिकित्सा प्रमाणपत्र देना होगा कि वह ऐसी जांच करने के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ्य हैं।

(ख) उपरोक्त उपखंड (क) में वर्णित ऐसे प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को निम्न मानक के अनुसार शारीरिक परीक्षा में भाग लेना अपेक्षित होगा:

पुरूषों के लिए मानक			
12 मिनट की दौड़/ चलने की परीक्षा			
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर

महिलाओं के लिए मानक			
8 मिनट की दौड़/ चलने की परीक्षा			
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर

5.0 चयन समिति का गठन और चयन प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश

5.1 चयन समिति की संरचना

I. विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य :

(क) विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :

i) कुलपति या उनका नामिती, जिनके पास कम से कम दस वर्ष का आचार्य के रूप में अनुभव हो, समिति के अध्यक्ष होंगे ।

ii) कुलाध्यक्ष / कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले अकादमिक सदस्य, जहां कहीं प्रयोज्य हो, आचार्य के रैंक से नीचे नहीं होंगे।

iii) संबंधित विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय / क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ का नामनिर्देशन किया जाएगा।

iv) संबंधित संकाय का संकाय अध्यक्ष, जहां कहीं प्रयोज्य हो ।

v) संबंधित विभाग / विद्यालय का प्रमुख / अध्यक्ष ।

vi) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / निशक्त श्रेणी से शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो उसे कुलपति द्वारा नामनिर्देशित जाएगा।

(ख) दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित चार सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

II. विश्वविद्यालय में सह आचार्य

(क) विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद के लिए चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी :

i) कुलपति या उनका नामिती, जिनके पास आचार्य के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो, समिति के अध्यक्ष होंगे ।

ii) कुलाध्यक्ष / कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले अकादमिक सदस्य, जहां कहीं प्रयोज्य हो, आचार्य के रैंक से नीचे नहीं होगा।

iii) संबंधित विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय / क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ का नामनिर्देशन किया जाएगा।

iv) संकाय का संकाय अध्यक्ष, जहां कहीं प्रयोज्य हो ।

v) संबंधित विभाग / विद्यालय का प्रमुख / अध्यक्ष।

vi) यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / निशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, कुलपति द्वारा को इन श्रेणियों से एक शिक्षाविद को नामनिर्देशित जाएगा।

(ख) दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

III. विश्वविद्यालय में आचार्य

(क) विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :

i) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा।

ii) कुलाध्यक्ष / कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले अकादमिक सदस्य, जहां कहीं प्रयोज्य हो, आचार्य के रैंक से नीचे नहीं होगा।

iii) संबंधित विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय / क्षेत्र में में तीन विशेषज्ञ का नामनिर्देशन किया जाएगा।

iv) संकाय का संकाय अध्यक्ष, जहां कहीं प्रयोज्य हो ।

v) संबंधित विभाग/ विद्यालय का प्रमुख/ अध्यक्ष ।

vi) यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, कुलपति द्वारा को इन श्रेणियों से एक शिक्षाविद को नामनिर्देशित जाएगा।

(ख) दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

IV. वरिष्ठ आचार्य

(क) विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य के पद के लिए चयन समिति मे निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :

i) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा।

ii) शिक्षाविद् जिसके पास न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो और वह वरिष्ठ आचार्य/ आचार्य के पद से नीचे का नहीं हो, कुलाध्यक्ष/ कुलपति का नामिती होगा।

iii) विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय/ क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ का नामनिर्देशन, जो वरिष्ठ आचार्य/ आचार्य के रैंक से नीचे के नहीं होंगे और उसके पास न्यूनतम दस वर्षो को अनुभव होगा।

iv) जहां कहीं भी प्रयोज्य हो, संकाय का संकाय अध्यक्ष (वरिष्ठ आचार्य/ आचार्य के रैंक से नीचे का नहीं होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षो को अनुभव होगा)।

v) विभाग/ विद्यालय का प्रमुख/ अध्यक्ष (वरिष्ठ आचार्य/ आचार्य के पद से नीचे का नहीं होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षो को अनुभव होगा) अथवा वरिष्ठतम आचार्य (वरिष्ठ आचार्य/ आचार्य के पद से नीचे का नहीं होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षो को अनुभव होगा)

vi) शिक्षाविद् (वरिष्ठ आचार्य/ आचार्य के रैंक से नीचे का नहीं होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षो को अनुभव होगा) जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता हो, यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि चयन समिति में कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, उसे कुलपति द्वारा नामनिर्देशित जाएगा।

(ख) दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित चार सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

V. निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में सहायक आचार्य :

(क) निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे

i) महाविद्यालय के शासी निकाय का अध्यक्ष या शासी निकाय के सदस्यों में से उसका नामिती जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

ii) महाविद्यालय का प्राचार्य।

iii) महाविद्यालय में संबंधित विषय के विभाग का प्रमुख/ प्रभारी शिक्षक।

iv) संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति के दो नामिती जिसमें से एक नामिती को विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। महाविद्यालय के अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में अधिसूचित/ घोषित होने की स्थिति में महाविद्यालय के संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा सुझाए गए विशेषज्ञों की सूची से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के अध्यक्ष महोदय दो नामिती जो कि अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से हो, का नामनिर्देशन करेंगे जिसमें से एक व्यक्ति विषय विशेषज्ञ होना चाहिए ।

v) संबंधित महाविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष महोदय दो विषय विशेषज्ञों का नामनिर्देशन करेंगे जो महाविद्यालय से संबंधित न हो। महाविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में अधिसूचित/ घोषित किए जाने की स्थिति में महाविद्यालय के संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय– विशेषज्ञों की सूची से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दो विषय– विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होंगे और जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, को नामनिर्देशित किया जाएगा।

vi) यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, कुलपति द्वारा को इन श्रेणियों से एक शिक्षाविद को नामनिर्देशित जाएगा।

(ख) दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित पांच सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

VI. निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में सह आचार्य :

(क) निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में सह आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :

i) शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा शासी निकाय के सदस्यों में से उसका नामिती जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

ii) महाविद्यालय का प्राचार्य ।

iii) महाविद्यालय में संबंधित विषय के विभाग का प्रमुख/ प्रभारी शिक्षक।

iv) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि, जिसमें से एक प्रतिनिधि, महाविद्यालय विकास परिषद् का संकाय अध्यक्ष या विश्वविद्यालय में समकक्ष पद पर हो, और दूसरा प्रतिनिधि संबंधित विषय में विशेषज्ञ होना चाहिए। महाविद्यालय के अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में अधिसूचित/ घोषित होने की स्थिति में महाविद्यालय के संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा सुझाए गए विशेषज्ञों की सूची से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के अध्यक्ष महोदय दो नामिती जो कि अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, का नामनिर्देशन करेंगे जिसमें से एक व्यक्ति विषय विशेषज्ञ होना चाहिए ।

v) संबंधित महाविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष दो विषय विशेषज्ञों का नामनिर्देशन करेगा जो महाविद्यालय से संबंधित न हो। महाविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में अधिसूचित/ घोषित किए जाने की स्थिति में महाविद्यालय के संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय– विशेषज्ञों की सूची से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दो विषय– विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होंगे और जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, को नामनिर्देशित किया जाएगा।

vi) यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, कुलपति द्वारा को इन श्रेणियों से एक शिक्षाविद को नामनिर्देशित जाएगा।

(ख) दो विषय विशेषज्ञों सहित पांच सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

VII. निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में आचार्य :

(क) निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :

i) शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा शासी निकाय के सदस्यों में से उसका नामिती जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

ii) महाविद्यालय का प्राचार्य ।

iii) महाविद्यालय में संबंधित विषय के विभाग का प्रमुख/ शिक्षक प्रभारी जो आचार्य के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए।

iv) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि जोकि आचार्य के रैंक से नीचे नहीं होंगे, जिसमें से एक प्रतिनिधि महाविद्यालय विकास परिषद् का संकाय अध्यक्ष या विश्वविद्यालय में समकक्ष पद पर हो, और दूसरा प्रतिनिधि संबंधित विषय में विशेषज्ञ होना चाहिए। महाविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में अधिसूचित/ घोषित किए जाने की स्थिति में महाविद्यालय के संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय– विशेषज्ञों की सूची से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दो नामिति, जो आचार्य के पद से कम न हों, जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होंगे और जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे को नामनिर्देशित किया जाएगा।

v) संबंधित महाविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय का अध्यक्ष दो विषय विशेषज्ञों का नामनिर्देशन करेगा जो महाविद्यालय से संबंधित न हो। महाविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में अधिसूचित/ घोषित किए जाने की स्थिति में महाविद्यालय के संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय– विशेषज्ञों की सूची से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दो विषय– विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होंगे और जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे को नामनिर्देशित किया जाएगा।

vi) यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, कुलपति द्वारा को इन श्रेणियों से एक शिक्षाविद को नामनिर्देशित जाएगा।

(ख) दो विषय विशेषज्ञों सहित पांच सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

VIII. महाविद्यालय प्राचार्य और आचार्य

क. चयन समिति

(क) महाविद्यालय के प्राचार्य और आचार्य के पद के लिए चयन समिति की संरचना निम्नवत होगी :

i) शासी निकाय का सभापति, चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

ii) शासी निकाय के दो सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा जिसमें से एक सदस्य अकादमिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा।

iii) कुलपति के दो नामिती, जो संबंधित विषय/ संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे, जिसमें से कम से कम एक नामिती संबद्ध विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होगा। महाविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में अधिसूचित/ घोषित किए जाने की स्थिति में पांच नामों के पेनल में से महाविद्यालय के सभापति का एक नामिति जो कि अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से होगा, जिसे संबद्ध महाविद्यालय के कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिनमें से एक विषय– विशेषज्ञ होना चाहिए।

iv) तीन उच्चतर शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञ होंगे, जिसमें एक महाविद्यालय का प्राचार्य, आचार्य और प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होगा, जो आचार्य के रैंक से कम नहीं होंगे (संबंधित महाविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमादित छह विशेषज्ञ पैनलों में से शासी निकाय द्वारा नामनिर्देशित किया जाए) ।

v) यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, कुलपति द्वारा इन श्रेणियों से एक शिक्षाविद को नामनिर्देशित जाएगा।

vi) संबंधित विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पेनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के सभापति द्वारा ऐसे दो विषय विशेषज्ञों के नाम की सिफारिश की जाएगी जो की महाविद्यालय से संबंद्ध नहीं हों। यदि महाविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान अधिसूचित/ घोषित किया गया हो तो, संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पेनल में से, जो कि अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध हों, महाविद्यालय के शासी निकाय के सभापति द्वारा ऐसे दो विषय विशेषज्ञों के नाम की सिफारिश की जाएगी, जो की महाविद्यालय से संबंद्ध नहीं हों।

(ख) दो विषय विशेषज्ञों सहित पांच सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

ग) चयन समिति की सभी चयन प्रक्रियाएं, चयन समिति की बैठक के दिन/ अंतिम दिन ही पूरी की जाएंगी, जिसमें प्राप्तांक प्ररूप सहित कार्यवृत का रिकार्ड रखा जाएगा तथा चयनित और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों/ गुणावगुण के अनुसार नामों के पैनल सहित मेरिट के आधार पर की गई अनुशंसा पर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

घ) महाविद्यालय प्राचार्य की नियुक्ति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा, वह 5.1(VIII)के उपखंड (ख) में दी गई संरचना के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के मूल्यांकन के बाद ही एक और कार्यकाल हेतु पुनः नियुक्त के लिए अर्हक होगा।

ङ) प्राचार्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के उपरांत पदधारी, आचार्य के ग्रेड में आचार्य के पदनाम के साथ अपने मूल संगठन में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

ख. महाविद्यालय प्राचार्य और आचार्य के द्वितीय कार्यकाल के लिए मूल्यांकन हेतु समिति

महाविद्यालय प्राचार्य और आचार्य के द्वितीय कार्यकाल के लिए मूल्यांकन हेतु समिति की संरचना निम्नवत होगी :

i) संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति का नामिती।

ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय का नामिती।

नामितियों को उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय/ उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय/ स्वायत्त महाविद्यालय/ एनएएसी ग्रेड 'क' प्रत्यायित महाविद्यालयों के प्राचार्यों से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

IX. **शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के निदेशकों, उप–निदेशकों, सहायक निदेशकों, पुस्तकाध्यक्षों, उप– पुस्तकाध्यक्षों और सहायक पुस्तकाध्यक्षों के पद के लिए चयन समितियां** क्रमशः आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य के समान ही होगी, और क्रमशः पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेलकूद प्रशासन में कार्यरत पुस्तकाध्यक्ष/ निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद, जैसा भी मामला हो, चयन समिति में एक विषय विशेषज्ञ के रूप में सम्बद्ध होंगे।

X. **पुस्तकाध्यक्षों/ शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में सहायक आचार्यों/ समकक्ष संवर्गों में एक स्तर से उच्चतर स्तर में सीएएस प्रोन्नति के लिए "छानबीन–सह–मूल्यांकन समिति" निम्नानुसार होगी :**

क. विश्वविद्यालय शिक्षकों हेतु :

i) कुलपति या उनका नामिती समिति का अध्यक्ष होगा;

ii) संबंधित संकाय का संकाय अध्यक्ष;

iii) विभाग का प्रमुख/ विद्यालय का अध्यक्ष; और

iv) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ के पैनलों में से संबंधित विषय में एक विषय विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

ख. महाविद्यालय शिक्षक हेतुः

i) महाविद्यालय का प्राचार्य;

ii) महाविद्यालय से संबंधित विभाग का प्रमुख/ प्रभारी शिक्षक;

iii) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ के पैनलों में से संबंधित विषय में दो विषय विशेषज्ञों को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

ग. विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष हेतु :

i) कुलपति समिति का अध्यक्ष होगा;

ii) संबंधित सकाय का संकाय अध्यक्ष;

iii) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का पुस्तकाध्यक्ष, और

iv) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ पैनल से नामनिर्देशित एक विशेषज्ञ जो पुस्तकाध्य़क्ष के रूप में कार्यरत हो ।

घ. महाविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष हेतु :

i) प्राचार्य समिति का अध्यक्ष होगा;

ii) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का पुस्तकाध्यक्ष, और

iii) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ पैनल से नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ जो पुस्तकाध्य़क्ष के रूप में कार्यरत हों ।

ङ. विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सहायक निदेशक हेतुः

i) कुलपति समिति का अध्यक्ष होगा;

ii) संबंधित संकाय का संकाय अध्यक्ष;

iii) विश्वविद्यालय का शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक; और

iv) विश्वविद्यालयी प्रणाली से शारीरिक शिक्षा और खेलकूद प्रशासन में एक विशेषज्ञ जिसे कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ पैनल से नामनिर्देशित किया जाएगा।

च. महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक :

i) प्राचार्य, समिति का अध्यक्ष होगा;

ii) विश्वविद्यालय का शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक; और

iii) विश्वविद्यालयी प्रणाली से शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में दो विशेषज्ञ जिसे कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ पैनल से नामनिर्देशित किया जाएगा।

टिप्पणी : सभी श्रेणियों में इन समितियों के लिए तीन सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होगी, जिसमें एक विषय विशेषज्ञ/ विश्वविद्यालय नामिती शामिल होंगे।

5.2 छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति, इन विनियमों के आधार पर विनिर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन मानदंड और पद्धति प्ररूप के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेडों का सत्यापन/ मूल्यांकन कर :

(क) सहायक आचार्य के प्रत्येक संवर्ग के लिए परिशिष्ट II, तालिका 1 में ;

(ख) पुस्तकाध्यक्ष के प्रत्येक संवर्ग के लिए परिशिष्ट II, तालिका 4 में ; और

(ग) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के प्रत्येक संवर्ग के लिए परिशिष्ट II, तालिका 5 में ;

विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के सिंडिकेट/ कार्यकारी परिषद/ प्रबंधन बोर्ड को कार्यान्वयन हेतु सीएएस के तहत अभ्यर्थियों की प्रोन्नति की उपर्युक्तता के बारे में सिफारिश करेगी।

5.3 चयन प्रक्रिया को चयन समिति की बैठक के दिन/ अंतिम दिन ही पूरा किया जाएगा, जहां कार्यवृत का रिकार्ड रखा जाएगा और साक्षात्कार में किए गए निष्पादन के आधार पर अनुशंसा की जाएगी जिस पर चयन समिति के सभी सदस्यगणों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5.4 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी चयन समितियों के लिए विभागाध्यक्ष/ प्रभारी शिक्षक को साक्षात्कार के रैंक/ पद के समकक्ष अथवा उच्चतर रैंक/ पद में होना चाहिए।

6.0 **चयन प्रक्रिया :**

I. समग्र चयन प्रक्रिया में आवेदकों के गुणावगुण और प्रत्ययपत्रों के विश्लेषण की पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय प्रद्धति शामिल होगी जो विभिन्न संगत मानदंडों में अभ्यर्थी के निष्पादन को दिए गए महत्व और परिशिष्ट II , तालिका 1, 2, 3क, 3ख, 4 और 5 के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली प्रोफार्मा में उनके निष्पादन पर आधारित होगा।

प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए विश्वविद्यालय साक्षात्कार के स्तर पर शिक्षण और/ अथवा शोध में नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में संगोष्ठियों अथवा कक्षा की स्थिति में व्याख्यान के माध्यम से शिक्षण की योग्यता और/ अथवा अनुसंधान करने की योग्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है। जहां कहीं इन विनियमों में चयन समितियां निर्धारित की गई हैं, वहां यह प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष भर्ती और सीएसए प्रोन्नति, दोनों के लिए अपनाई जा सकती हैं।

II. विश्वविद्यालय विभागों और उनके संघटक महाविद्यालयों/ सम्बद्ध महाविद्यालयों (सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त/ स्वायत्त/ निजी महाविद्यालयों) के लिए संस्थानागत स्तर पर परिशिष्ट II, तालिका 1, 2, 3क, 3ख, 4 और 5 को समाहित करते हुए विश्वविद्यालय अपने संबंधित सांविधिक निकायों के माध्यम से चयन समितियों और चयन प्रक्रिया के लिए इन विनियमों को अपनाएगा ताकि सभी चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई जा सके। विश्वविद्यालय इन विनियमों में विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II, तालिका 1, 2, 3क, 3ख, 4 और 5 का कड़ाई से अनुपालन करते हुए शिक्षकों के लिए अपना स्व–मूल्यांकन– सह– निष्पादन समीक्षा प्ररूप तैयार कर सकती है।

III. यदि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए सभी चयन समितियों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिलाओं/ निशक्त श्रेणियों से संबंधित कोई अभ्यर्थी आवेदक है और यदि चयन समिति का कोई सदस्य उस श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो कुलपति द्वारा उक्त श्रेणियों से संबंध रखने वाले से शिक्षाविद् को नामनिर्देशित किया जाएगा और महाविद्यालय की स्थिति में उस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा जिससे महाविद्यालय सम्बद्ध है। इस प्रयोजन हेतु इस प्रकार नामनिर्देशित शिक्षाविद् आवेदक के संवर्ग के स्तर से एक स्तर उपर होगा और ऐसा नामिती सुनिश्चित करेगा कि चयन प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त श्रेणियों के संबंध में केन्द्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

IV. आचार्य के चयन की प्रक्रिया में इन विनियमों के परिशिष्ट II, तालिका 1 और 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन मानदंड और पद्धति संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा आवेदन आमंत्रित करना तथा अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण प्रकाशनों का पुनर्मुद्रण करना शामिल है।

बशर्ते कि अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए प्रकाशन को अर्हक अवधि के दौरान प्रकाशित किया गया हो।

बशर्ते आगे कि साक्षात्कार किए जाने से पूर्व ऐसे प्रकाशनों को मूल्यांकन हेतु विषय विशेषज्ञों को उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञ द्वारा किए गए प्रकाशनों के मूल्यांकन को चयन के निष्कर्षों को अंतिमरूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।

V. ऐसे संकाय सदस्यों के चयन के मामले में जो शैक्षणिक क्षेत्र के इतर हों उन्हें इन विनियमों के खंड 4.1 (III.ख), 4.2 (I.ख, II.ख, III.ख), 4.3 (I.ख, II.ख, III.ख) और 4.4 (III.ख) के तहत विचार किया जाएगा, विश्वविद्यालय के सांविधिक निकायों द्वारा स्पष्ट तथा पारदर्शी मानदंड तथा प्रक्रियाएं निर्धारित की जानी चाहिए ताकि उत्कृष्ट पेशेवर, जो विश्वविद्यालयी ज्ञान प्रणाली में पर्याप्त योगदान दे सकते हैं, उनका चयन किया जा सके।

VI. कतिपय विधाओं/ क्षेत्रों यथा संगीत तथा ललित कला, विजुअल आर्ट्स तथा परफार्मिंग आर्ट्स, शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद और पुस्तकालय जिनमें भिन्न स्वरूप के उत्तरदायित्व होते हैं, वहां इन विनियमों में प्रत्येक पद के समक्ष उल्लिखित दायित्वों के स्वरूप पर बल दिया जाना चाहिए, जिस पर सीधी भर्ती तथा सीएएस प्रोन्नति, दोनों के लिए प्ररूप को विकसित करते हुए संस्थान द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।

VII. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) दिशानिर्देशों के अनुसार कुलपति की अध्यक्षता (विश्वविद्यालय के मामले में), प्राचार्य की अध्यक्षता में (महाविद्यालय के मामले में) सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना की जाएगी। आईक्यूएसी, संस्थान के लिए प्रलेखन तथा अभिलेखों का रखरखाव करने वाले प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करेगा जिसमें इन विनियमों के आधार पर मूल्यांकन मानदंड और पद्धति प्ररूप विकसित करने में सहायता प्रदान करना शमिल है। जहां कहीं भी संभव हो आईक्यूएसी संस्थागत मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन मानदंड और पद्धति प्ररूप में प्रत्येक शिक्षक के संबंध में छात्र के मूल्यांकन के घटक को सम्मिलित नहीं करते हुए एनएएसी दिशानिर्देशों के अनुसार छात्र प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित कर सकता है।

क. सीएएस प्रोन्नति हेतु महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के निष्पादन का मूल्यांकन निम्नवत मानदंडों पर आधारित है।

i. **शिक्षण– ज्ञान–अर्जन और मूल्यांकनः** कक्षा में नियमित रूप से आने, समय पर आने, कक्षा के समय में या उसके बाद सुधारात्मक शिक्षण और संशय मिटाने, परामर्श और मार्गदर्शन, जब आवश्यकता हो तो महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में सहायता हेतु अतिरिक्त अध्यापन इत्यादि जैसे ध्यान देने योग्य संकेतकों पर आधारित शिक्षण की वचनबद्धता। परीक्षा और मूल्यांकन कार्यकलाप जैसे परीक्षा पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करना, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र बनाना, परीक्षा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में भाग लेना, प्रत्येक शिक्षा सत्र से पहले घोषित अनुसूची के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं संचालित करना और वापस आकर कक्षा में उत्तर पर चर्चा करना।

ii. **शिक्षण और शोध कार्यकलापो से संबंधित व्यक्तिगत विकास:** प्रबोधन/ पुनश्चर्या/ कार्यविधि पाठ्यक्रम में भाग लेना**,** ई– विषयवस्तु और एमओओसी का विकास, संगोष्ठियों/ सम्मलेनों/ कार्यशालाओं का आयोजन/ पत्र प्रस्तुत करना और सत्रों की अध्यक्षता करना/ शोध परियोजनाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध निष्कर्षों का प्रकाशन इत्यादि।

iii. प्रशासनिक सहायता और छात्र सह– पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर कार्यकलापों में भागीदारी

ख. **मूल्यांकन प्रक्रिया**

सभी स्तरों पर सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित **त्री स्तरीय** प्रक्रिया की सिफारिश की जाती है**:**

पहला स्तर: विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के शिक्षक विनिर्दिष्ट प्रपत्र में वार्षिक स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय को भेजेंगे जिसे परिशिष्ट 2 की तालिका 1 से 5 के आधार पर बनाया जाएगा। यह रिपोर्ट विनिर्दिष्ट समय में प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में भेजी जानी चाहिए। शिक्षक, वार्षिक स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट में किए गए दावों के लिए साक्ष्यों के दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा, जिसकी विभागाध्यक्ष/ प्रभारी शिक्षक द्वारा पुष्टि की जाएगी। इसे विभागाध्यक्ष (एचओडी)/ प्रभारी शिक्षक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

दूसरा स्तर: सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु आवश्यक वर्षों के अनुभव को पूर्ण किए जाने और नीचे दी गई अन्य अपेक्षाओं को पूरा किए जाने के उपरांत शिक्षक सीएएस के अंतर्गत आवेदन भेजेगा।

तीसरा स्तर: सीएएस प्रोन्नति, इन विनियमों के खण्ड 6.4 में दी गई पद्धति के अनुसार प्रदान की जाएगी।

6.1 **मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि:**

(क) परिशिष्ट II की तालिका 1 से 3, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में सहायक आचार्य /सह आचार्य/ आचार्य/वरिष्ठ आचार्य के चयन के लिए लागू है।

(ख) परिशिष्ट II की तालिका 4, कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष और उप पुस्तकाध्यक्ष के लिए लागू है; और

(ग) परिशिष्ट II की तालिका 5, कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक/ महाविद्यालय निदेशक और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के उपनिदेशक/निदेशकों पर लागू है।

6.2 उक्त संवर्गों के लिए चयन समिति का गठन और चयन कार्यविधि तथा मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि चाहे वह सीधी भर्ती के लिए हो या कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत हो, इन विनियमों के अनुसार होंगी।

6.3 इन विनियमों के तहत कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत प्रोन्नतियों के लिए बनाए गए मानदण्ड, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे। तथापि, विद्यमान विनियमों के अंतर्गत पहले से योग्य अथवा संभावित योग्यता प्राप्त करने वाले संकाय के सदस्यों की कठिनाई कम करने के लिए उन्हें विद्यमान विनियमों के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए विकल्प दिया जा सकता है। यह विकल्प इन विनियमों की तिथि से केवल तीन वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सकता है।

I. सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के इच्छुक शिक्षक को अंतिम तिथि से तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय को लिखित में यह भेजना होगा कि वह सीएएस के अंतर्गत सभी अर्हताओं को पूरा करता है/ करती है और विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय को इन विनियमों में निर्धारित किए गए मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि दिशानिर्देशों के अनुसार सभी जानकारियों सहित संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि प्रपत्र में भेजेगा। सीएएस के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए चयन समिति की बैठकों के आयोजन में किसी विलंब से बचने के लिए विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय जांच/ चयन की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है और आवेदन प्राप्ति से 6 माह के भीतर प्रक्रिया को पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त, इन विनियमों के अधिसूचित होने की तिथि को इन विनियमों में दिए गए सभी अन्य मानदण्डों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की कठिनाई को कम करने के लिए उन पर इन योग्यताओं को पूरा करने की तिथि के बाद से अथवा उस तिथि से प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकता है।

II. खण्ड 5.1 से 5.4 में यथा अंतर्विष्ट चयन समिति संबंधी विनिर्दिष्टताएं, संकाय पदों अथवा समकक्ष संवर्गों और सहायक आचार्य से सह आचार्य, सह आचार्य से आचार्य, आचार्य से वरिष्ठ आचार्य (विश्वविद्यालय में) और समकक्ष संवर्गों के लिए सभी सीधी भर्ती तथा कॅरियर उन्नति योजना के लिए लागू होंगे।

III. एक निचले स्तर से सहायक आचार्य के ऊंचे स्तर तक सीएएस प्रोन्नति, परिशिष्ट– II की तालिका 1 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पालन करते हुए एक 'जाचं एवं मूल्यांकन समिति' के माध्यम से संचालित की जाएगी।

IV. सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति, स्थायी संस्वीकृत पदधारक शिक्षक की वैयक्तिक प्रोन्नति है, उसकी सेवानिृत्ति पर उक्त पद मूल संवर्ग में वापस चला जाएगा।

V. सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए आवेदक शिक्षक, चयन समिति द्वारा विचार किए जाने वाली तिथि को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की सक्रिय सेवा और भूमिका में होना चाहिए।

VI. यदि अभ्यर्थी संगत मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि तालिकाओं में विनिर्दिष्ट न्यूनतम ग्रेडिंग को पूरा करता है/ करती है तो वह आवेदन तथा अपेक्षित मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि प्रपत्र भेज कर प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा। वह ऐसा अंतिम तिथि से तीन माह पूर्व कर सकता है। विश्वविद्यालय योग्य अभ्यर्थी से सीएएस प्रोन्नति हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए वर्ष में दो बार एक सामान्य परिपत्र निकालेगा।

i) यदि एक अभ्यर्थी न्यूनतम योग्यता अवधि की पूर्ति पर प्रोन्नति के लिए आवेदन करता है और सफल हो जाता है तो प्रोन्नति की तिथि, योग्यता की न्यूनतम अवधि को पूरा करने की तिथि होगी।

ii) तथापि, यदि अभ्यर्थी को पता चलता है कि वह परिशिष्ट– II की तालिकाओं 1 , 2, 4, और 5 में यथा विनिर्दिष्ट सीएएस प्रोन्नति मानदण्डों को बाद की तिथि में पूरा करेगा और वह उसी तिथि को आवेदन करता है तथा सफल हो जाता है तो उसकी प्रोन्नति उसके द्वारा योग्यता मानदण्ड पूरा करने की तिथि से प्रभावी होगी।

iii) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम मूल्यांकन में सफल नहीं हो पाते हैं उनका पुनर्मूल्यांकन एक वर्ष के बाद ही किया जाएगा। जब ऐसे अभ्यर्थी बाद में किए गए मूल्यांकन में सफल हो जाते हैं तो उनकी प्रोन्नति अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष मानी जाएगी।

VII. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 और इसमें बाद में किए गए संशोधनों के तहत कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत एक अकादमिक स्तर/ ग्रेड वेतन से दूसरे अकादमिक स्तर/ ग्रेड वेतन में

प्रोन्नतियों के लंबित मामलों के संबंध में शिक्षक को एक अकादमिक स्तर/ ग्रेड वेतन से दूसरे अकादमिक स्तर/ ग्रेड वेतन में प्रोन्नति पर विचार किए जाने हेतु निम्नानुसार विकल्प दिया जाएगा:

(क) इन विनियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर एक अकादमिक स्तर/ ग्रेड वेतन से दूसरे में प्रोन्नति हेतु सीएएस के अनुसार विचार किया जाएगा।

अथवा

(ख) एक अकादमिक स्तर/ ग्रेड वेतन से दूसरे में प्रोन्नति हेतु संकाय के सदस्यों पर सीएएस के अनुसार विचार किया जाएगा जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 तथा इसमें बाद में किए गए संशोधनों के तहत होगा जिसमें इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि तक अकादमिक निष्पादन संकेतकों (एपीआई) पर आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन पद्धति (पीबीएएस) की अर्हताओं में छूट प्रदान की जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 और इसमें किए गए संशोधनों में यथा उपबंधित सीएएस के अंतर्गत एक अकादमिक स्तर/ ग्रेड वेतन से दूसरे में प्रोन्नति हेतु इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि तक अकादमिक निष्पादन संकेतक (एपीआई) आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन पद्धति (पीबीएएस) की अर्हताओं में छूट को नीचे परिभाषित किया गया है:

i. उपर्युक्त उल्लिखित परिशिष्ट– III में यथा परिभाषित श्रेणी– I के तहत प्राप्तांक से छूट के लिए उपर्युक्त उल्लिखित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 सहित संकाय और अन्य समतुल्य संवर्ग के पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) (चौथा संशोधन) संबंधी विनियम, 2016।

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 में यथा उपबंधानुसार संकाय और अन्य समतुल्य संवर्ग के पदों के लिए श्रेणी– II तथा श्रेणी– III के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे जिसमें श्रेणी– II तथा श्रेणी– III पर एक साथ विचार कर निम्नवत समेकित न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक अपेक्षाएं निम्नानुसार होंगी:

नोटः श्रेणी– II और श्रेणी– III के लिए पृथक रूप से कोई न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक की अपेक्षाएं नहीं होंगी।

तालिका– क (विश्वविद्यालय विभागों में सीएएस के अंतर्गत शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएं)

क्रम संख्या		सहायक आचार्य (चरण 1/ एजीपी 6000/– रुपए से चरण 2/एजीपी 7000/– रुपए)	सहायक आचार्य (चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए) से चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए)	सहायक आचार्य (चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए) से सह आचार्य (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए)	सह आचार्य (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए से आचार्य (चरण 5/एजीपी 10000/– रुपए)
1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी– III)	40/ मूल्यांकन अवधि	100/ मूल्यांकन अवधि	90/ मूल्यांकन अवधि	120/ मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति	चयन समिति

तालिका– ख (महाविद्यालयों में सीएएस के अंतर्गत शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएं (स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर) :

क्र. सं.		सहायक आचार्य (चरण 1/ एजीपी 6000/– रुपए से चरण 2/एजीपी 7000/– रुपए)	सहायक आचार्य (चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए से चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए)	सहायक आचार्य (चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए) से सह आचार्य (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए)	सह आचार्य (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए) से आचार्य (चरण 5/ एजीपी 10000/– रुपए)
1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी– III)	20/ मूल्यांकन अवधि	50/ मूल्यांकन अवधि	45/ मूल्यांकन अवधि	60/ मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति	चयन समिति

तालिका– ग (विश्वविद्यालयों में सीएएस के अंतर्गत पुस्तकालय स्टॉफ की प्रोन्नति हेतु एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएं) :

क्र.सं.		सहायक पुस्तकाध्यक्ष (चरण 1/ एजीपी 6000/– रुपए से चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए)	सहायक पुस्तकाध्यक्ष (चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए से चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए)	सहायक पुस्तकाध्यक्ष (चयन ग्रेड/ उप पुस्तकाध्यक्ष) (चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए) से उप पुस्तकाध्यक्ष (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए)	उप पुस्तकाध्यक्ष (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए) से उप पुस्तकाध्यक्ष (चरण 5 एजीपी 10000/– रुपए)
1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी– III)	40/ मूल्यांकन अवधि	100/ मूल्यांकन अवधि	90/ मूल्यांकन अवधि	120 प्रति मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति	चयन समिति

तालिका– घ (महाविद्यालयों में सीएएस के अंतर्गत पुस्तकालय स्टॉफ की प्रोन्नति हेतु एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएं) :

क्र.सं.		सहायक पुस्तकाध्यक्ष (चरण 1/ एजीपी 6000/– रुपए से चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए)	सहायक पुस्तकाध्यक्ष (चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए से चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए)	सहायक पुस्तकाध्यक्ष (चयन ग्रेड / उप पुस्तकाध्यक्ष) (चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए) से उप पुस्तकाध्यक्ष (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए)
1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी– III)	20/ मूल्यांकन अवधि	50/ मूल्यांकन अवधि	45/ मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति

तालिका– ङ (विश्वविद्यालय निदेशक/ उप निदेशक/ सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की प्रोन्नति हेतु एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएं) :

क्र.सं.		**सहायक निदेशक (चरण 1/ एजीपी 6000/– रुपए से चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए)**	**सहायक निदेशक (चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए) से सहायक निदेशक (चयन ग्रेड)/ उप निदेशक (चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए)**	**सहायक निदेशक (चयन ग्रेड)/ उप निदेशक (चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए) से उप निदेशक (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए)**	**उप निदेशक (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए) से उप निदेशक (चरण 5 एजीपी 10000/– रुपए)**
1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी–III)	40/ मूल्यांकन अवधि	100/ मूल्यांकन अवधि	90/ मूल्यांकन अवधि	120 प्रति मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति	चयन समिति

तालिका– च (महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की प्रोन्नति हेतु एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएं) :

क्र.सं.		**सहायक निदेशक (चरण 1/ एजीपी 6000/– रुपए से चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए)**	**सहायक निदेशक (चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए) से सहायक निदेशक (चयन ग्रेड)/ उप निदेशक (चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए)**	**सहायक निदेशक (चयन ग्रेड)/ उप निदेशक (चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए) से उप निदेशक (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए)**
1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी–III)	20/ मूल्यांकन अवधि	50/ मूल्यांकन अवधि	45/ मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति

VIII . सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नतियों के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की अपेक्षा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक अनिवार्य नहीं होगी।

6.4 कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदधारी और नव–नियुक्त सहायक आचार्य/ सह आचार्य/ आचार्यों की प्रोन्नति के चरण

क. प्रवेश–स्तर पर सहायक आचार्य, कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए दो क्रमिक स्तरों (स्तर 11 और स्तर 12) के माध्यम से पात्र होंगें बशर्ते वे इन विनियमों के खण्ड 6.3 में विनिर्दिष्ट योग्यता और निष्पादन मानदण्ड को पूरा करते हों।

ख. महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस)

I. सहायक आचार्य (अकादमिक स्तर 10) से सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11)

योग्यता : ऐसे सहायक आचार्य जिन्होने सेवा में चार वर्ष पूरे कर लिए हों और पीएचडी की उपाधि धारक हों अथवा सेवा में पांच वर्ष पूरे कर लिए हों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एमफिल/स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों जैसे एलएलएम, एम. टेक, एम. वी. एससी, एम.डी. अथवा जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पीएचडी/ एम.फिल/ स्नातकोत्तर की उपाधि धारक नहीं हों और जिन्होंने सेवा में छह वर्ष पूरे कर लिए हों।

(i). शिक्षण कार्यविधि पर 21 दिन की अवधि के एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो; और

(ii). निम्नलिखित में से किसी एक कार्यक्रम में भाग लिया हो : एक पुनश्चर्या / शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम पूरा किया हो।

अथवा

निम्नलिखित में से किसी एक कार्यक्रम में भाग लिया हो : कार्यशाला, पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला, प्रशिक्षण शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन, प्रोद्यौगिकी कार्यक्रम और कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि का संकाय विकास कार्यक्रम।

अथवा

मूल्यांकन अवधि के दौरान एक एमओओसी पाठ्यक्रम (ई– प्रमाणन के साथ) पूरा किया हो अथवा चार–चतुर्थांश में ई–विषयवस्तु का विकास / एमओओसी पाठ्यक्रम पूरा किया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 1 में विनिर्दिष्ट है, मूल्यांकन अवधि के पिछले चार / पाँच / छह वर्षों में से कम से कम तीन / चार / पाँच, इनमें से जो भी लागू हो, वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों।

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

II. सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान / अकादमिक स्तर 11) से सहायक आचार्य (वरिष्ठ ग्रेड / अकादमिक स्तर 12)

योग्यताः

1) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होने वेतनमान अकादमिक स्तर 11 / वरिष्ठ वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2) अकादमिक स्तर–11 / वरिष्ठ वेतनमान के पिछले पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई दो किए होंः मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम / शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम / कार्यशालाओं / पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला / शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन / प्रौद्योगिकी कार्यक्रम / संकाय विकास कार्यक्रम / पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों; अथवा संगत विषय में (ई– प्रमाणन) सहित एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 मॉड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई–विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो / एमओओसी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) मूल्यांकन अवधि के पिछले पाँच वर्षों में से कम से कम चार, इनमें से जो भी लागू हो, वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों (जैसा कि परिशिष्ट– II **तालिका** 1 में विहित किया गया है)।

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

III. सहायक आचार्य (चयन ग्रेड / अकादमिक स्तर 12) से सह आचार्य (अकादमिक स्तर 13 क)

योग्यताः

1) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होने अकादमिक स्तर 12 / चयन ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।

2) संगत / संबद्ध / संगत विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की हो।

3) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई एक कार्यक्रम / पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों : मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम / कार्यविधि कार्यशाला / पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला / शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन / प्रौद्योगिकी कार्यक्रम / संकाय विकास कार्यक्रम श्रेणी के कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों में से कम से कम एक कार्यक्रम / पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; अथवा संगत विषय में (ई– प्रमाणन) सहित एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 मॉड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई–विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो / एमओओसी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 1 में विहित है, मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से दो वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों; और

(ii) सह आचार्य के पद पर प्रोन्नति की सिफारिश इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा की गई हो।

IV. सह आचार्य (अकादमिक स्तर 13क) से आचार्य (अकादमिक स्तर 14)

योग्यताः

1. ऐसे सह आचार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 13क में सेवा के तीन वर्ष पूर्ण किए हों

2. संगत/ संबद्ध विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की हो।

3. समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम 10 शोध प्रकाशन किए हों जिनमें से तीन शोध पत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हों।

4. परिशिष्ट– II तालिका 2 के अनुसार कम से कम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 1 में विहित है, शिक्षक को मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से दो वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों; और जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 1 में विहित है, कम से कम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों।

(ii) इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा आचार्य के पद पर प्रोन्नति की सिफारिश की गई हो।

ग. विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस)

I. सहायक आचार्य (अकादमिक स्तर 10) से सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11)

योग्यताः

(i) एक सहायक आचार्य जिसने पीएचडी की उपाधि के साथ सेवा में चार वर्ष पूरे किए हों अथवा पेशेवर पाठ्यक्रम जैसे एलएलएम, एम. टेक, एम.वी.एससी, और एम.डी. में एम.फिल/ स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ सेवा में पाँच वर्ष अथवा पेशेवर पाठ्यक्रम में पीएचडी/एम.फिल/स्नातकोत्तर की उपाधि के बिना सेवा में छह वर्ष पूरे किए हों और निम्नलिखित शर्तें पूरी करता होः

(ii) शिक्षण कार्यविधि पर 21 दिन की अवधि के एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो;

(iii) इनमें से कोई एक किया होः मूल्यांकन अवधि के दौरान कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम /शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम/ कार्यशाला/ पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला/ प्रशिक्षण शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम पूरा किया हो अथवा एक एमओओसी पाठ्यक्रम (ई–प्रमाणन के साथ) पूरा किया हो अथवा चार चतुर्थांश में ई– विषयवस्तु के विकास/ एमओओसी पाठ्यक्रम पूरा किया हो; और

(iv) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में एक शोध प्रकाशन प्रकाशित हुआ हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 1 में विनिर्दिष्ट है, मूल्यांकन अवधि के पिछले चार/ पाँच/ छह वर्षों में से कम से कम तीन/ चार/ पाँच, इनमें से जो भी लागू हो, वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों।

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

II. सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11) से सहायक आचार्य (वरिष्ठ ग्रेड / अकादमिक स्तर 12)

योग्यताः

(i) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होने अकादमिक स्तर 11/ वरिष्ठ वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ii) संगत/ संबद्ध विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की हो।

(iii) अकादमिक स्तर–11/ वरिष्ठ वेतनमान के पिछले पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई दो किए हों: मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम/ कार्यशालाओं/ पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला/ शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन/ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों; अथवा संगत विषय में (ई– प्रमाणन) सहित एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 मॉड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई–विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो/ एमओओसी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो।

(iv) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में तीन शोध पत्र हुए हों।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड:

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) मूल्यांकन अवधि के दौरान पिछले पाँच वर्षों में से कम से कम चार वर्षों के दौरान शिक्षक को वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों (जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 1 में विनिर्दिष्ट है); और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

III. सहायक आचार्य (चयन ग्रेड/ अकादमिक स्तर 12) से सह आचार्य (अकादमिक स्तर 13क)

1) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होने अकादमिक स्तर 12/ चयन ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।

2) संगत/ संबद्ध विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की हो।

3) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई एक कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों : मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यविधि कार्यशाला / पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला/ शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन/ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम श्रेणी के कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों में से कम से कम एक कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; अथवा संगत विषय में (ई– प्रमाणन) सहित एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 मॉड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई–विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो/ एमओओसी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो।

4) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम सात प्रकाशन प्रकाशित हुए हों जिसमें से तीन शोध पत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हों।

5) कम से कम एक पीएच.डी अभ्यर्थी का मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड:

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 1 में विहित है, मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से दो वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों; और जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 2 में विहित है, कम से कम 70 शोध अंक प्राप्त किए हों।

(ii) इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश की गई हो।

IV. सह आचार्य (अकादमिक स्तर 13क) से आचार्य (अकादमिक स्तर 14)

योग्यता:

1. ऐसे सह आचार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 13क में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2. संबंधित/ संबद्ध/ संगत विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की हो।

3. समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस शोध प्रकाशन किए हों जिनमें से तीन शोध पत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हों।

4. पीएच.डी अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।

5. परिशिष्ट– II तालिका 2 के अनुसार कम से कम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड:

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) यदि उसे परिशिष्ट– II तालिका 1 में यथा विहित मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से दो वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों तथा परिशिष्ट– II तालिका 2 में यथा विहित है, कम से कम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों;

(ii) इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश की गई हो।

V. आचार्य (अकादमिक स्तर 14) से वरिष्ठ आचार्य (अकादमिक स्तर 15)

सीएएस के अंतर्गत् एक आचार्य की वरिष्ठ आचार्य के पद पर प्रोन्नति की जा सकती है। प्रोन्नति शैक्षिक उपलब्धियों, ऐसे तीन प्रख्यात विषय विशेषज्ञों, जो कम से कम 10 वर्ष के अनुभव रखने वाले वरिष्ठ आचार्य अथवा आचार्य के पद के समकक्ष हों, द्वारा की गई अनुकूल समीक्षा के आधार पर होगी। चयन पिछले 10 वर्षों के दौरान 10 सर्वोत्तम प्रकाशनों और इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति के साथ विचार–विमर्श के आधार पर होगा।

योग्यताः

(i) आचार्य के पद पर दस वर्ष का अनुभव।

(ii) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस प्रकाशन किए हों तथा मूल्यांकन अवधि के दौरान उनके पर्यवेक्षण में दो अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो।

घ. पुस्तकाध्यक्षों के लिए कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस)

नोटः

i. निम्नलिखित उपबंध केवल उन व्यक्तियों पर लागू हैं जो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षण से नहीं जुड़े हों। जिन संस्थानों में पुस्तकालय विज्ञान एक शिक्षण विभाग है वहां के शिक्षक महाविद्यालयों/ संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए क्रमशः इन विनियमों के खण्ड 6.4 (ख) और 6.4 (ग) के अंतर्गत शामिल होगें।

ii. विश्वविद्यालयों में उप पुस्तकाध्यक्ष के दो स्तर होंगे अर्थात् अकादमिक स्तर 13क और अकादमिक स्तर 14 जबकि महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष के पांच स्तर होंगे अर्थात अकादमिक स्तर 10, अकादमिक स्तर 11, अकादमिक स्तर 12, अकादमिक स्तर 13क और अकादमिक स्तर 14 ।

I. विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 10)/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 10) से विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11)/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11):

योग्यता :

एक सहायक पुस्तकाध्यक्ष जो कि अकादमिक स्तर 10 में हो और पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखीकरण विज्ञान में पीएच.डी की उपाधि धारक हो अथवा समकक्ष उपाधि धारक हो अथवा पांच वर्ष का अनुभव हो, कम से कम एम.फिल. की उपाधि के साथ पांच वर्ष का अनुभवधारी हो, अथवा जो अभ्यर्थी एम.फिल अथवा पीएच.डी की उपाधि नहीं हो उनका छह वर्षों का सेवाकाल हो।

(i) उसने 21 दिन की अवधि के कम से कम एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो; और

(ii) परिशिष्ट– II तालिका 4 में यथा विहित, कम से कम 5 दिन का स्वचालन और डिजिटलीकरण, रख–रखाव और संबद्ध क्रियाकलापों पर प्रशिक्षण, संगोष्ठि अथवा कार्यशाला में भाग लिया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

एक सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष को प्रोन्नति दी जा सकती है यदि उसनेः

(i) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले चार/ पांच/ छह वर्षों में से कम से कम तीन/ चार/ पांच/ वर्षों, जैसा भी मामला हो, की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका– 4 में विनिर्दिष्ट है; और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

II. विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11)/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11) से विश्वविद्यालय सहायक पुस्ताकध्यक्ष (चयन ग्रेड / अकादमिक स्तर 12/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (चयन ग्रेड/ अकादमिक स्तर 12)

योग्यताः

1) उन्होने उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2) उन्होने पिछले पाचं वर्षों के दौरान निम्निलिखित में से किन्हीं दो कार्यक्रमों में भाग लिया हो :

(i) स्वचालन और डिजिटलीकरण के संबंध में प्रशिक्षण/ संगोष्ठि/ कार्यशाला/ पाठ्यक्रम;

(ii) परिशिष्ट– II तालिका 4 के अनुसार कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) की अवधि तक के रख–रखाव और अन्य अन्य संबद्ध कार्यकलाप (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) के प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों), (iii) संगत विषय में (ई– प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम किया हो/ विकसित किया हो; अथवा (iv) पुस्ताकालय उन्नयन पाठ्यक्रम किया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि;

(i) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले पांच वर्षों में से कम से कम चार वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 4 में विनिर्दिष्ट है; और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

III. विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष (चयन ग्रेड/ अकादमिक स्तर 12)/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (चयन ग्रेड /अकादमिक स्तर 12) से विश्वविद्यालय उप पुस्तकाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 13क)/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 13क)

1) उन्होने उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2) उन्होने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्निलिखित में से किन्हीं एक कार्यक्रम में भाग लिया हो :

(i) स्वचालन और डिजिटलीकरण के संबंध में प्रशिक्षण/ संगोष्ठि/ कार्यशाला/ पाठ्यक्रम

(ii) परिशिष्ट– II तालिका 4 के अनुसार कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) की अवधि की रख–रखाव और अन्य संबद्ध कार्यकलाप (iii) अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) के प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों (iv) संगत विषय में (ई– प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम किया हो/ विकसित किया हो, और (v) अथवा पुस्ताकालय उन्नयन पाठ्यक्रम किया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि;

(i) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 4 में विनिर्दिष्ट है; और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

IV. विश्वविद्यालय उप पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 13क) से विश्वविद्यालय उप पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 14) में सीएएस प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित मानदण्ड होंगेः

1) उन्होने उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2) उन्होने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्निलिखित में से किन्हीं एक कार्यक्रम में भाग लिया हो :

(i) स्वचालन और डिजिटलीकरण के संबंध में प्रशिक्षण/ संगोष्ठि/ कार्यशाला/ पाठ्यक्रम;

(ii) परिशिष्ट– II तालिका 4 के अनुसार कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) की अवधि की रख–रखाव और अन्य संबद्ध कार्यकलाप (iii) अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) के प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों (iv) संगत विषय में (ई– प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम किया हो/ विकसित किया हो, और (v) अथवा पुस्ताकालय उन्नयन पाठ्यक्रम किया हो।

3) पुस्तकालय आईसीटी समेकन सहित नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं के साक्ष्य हों।

4) पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखीकरण/ अभिलेख और पाण्डुलिपि संरक्षण में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि;

(i) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 4 में विनिर्दिष्ट है; और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

ङ. निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के लिए कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस)

नोटः

(i) निम्नलिखित उपबंध केवल उन कार्मिकों पर लागू हैं जो शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के शिक्षण से जुड़े न हों। जिन संस्थानों में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद एक शिक्षण विभाग है वहां के शिक्षक, महाविद्यालयों/ संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए क्रमशः इन विनियमों के खण्ड 6.4 (ख) और 6.4 (ग) के अंतर्गत शामिल होगें।

(ii) विश्वविद्यालयों में उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद, के दो स्तर होंगे अर्थात् अकादमिक स्तर 13क और अकादमिक स्तर 14, जबकि महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के पांच स्तर होंगे अर्थात् अकादमिक स्तर 10, अकादमिक स्तर 11, अकादमिक स्तर 12, अकादमिक स्तर 13क और अकादमिक स्तर 14 ।

I. सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (अकादमिक स्तर 10)/ महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (अकादमिक स्तर 10) से सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (वरिष्ठ वेतनमान /अकादमिक स्तर 11) / महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (वरिष्ठ वेतनमान /अकादमिक स्तर 11)

योग्यताः

(i) उन्होंने शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेलकूद विज्ञान में पीएचडी की उपाधि के साथ चार वर्ष की सेवा पूर्ण की हो अथवा एम.फिल. की उपाधि के साथ पांच वर्ष की सेवा ,अथवा एम.फिल, या पीएचडी की उपाधि के बिना छह वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।

(ii) उन्होंने 21 दिन की अवधि के एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो; और

(iii) उन्होंने निम्नलिखित में से किसी एक को पूर्ण किया होः (क) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम/कार्यशाला; (ख) कम से कम 5 दिन की अवधि का प्रशिक्षण शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम / संकाय विकास कार्यक्रम; (ग) एक एमओओसी पाठ्यक्रम (ई–प्रमाणन के साथ) को पूर्ण किया हो/ विकसित किया हो ।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि;

(i) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले चार/ पांच/ छह वर्षों में से कम से कम तीन/ चार/ पांच/ वर्षों, जैसा भी मामला हो, की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 5 में विनिर्दिष्ट है; और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की जाएगी।

II. सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11)/ महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (वरिष्ठ वेतनमान / अकादमिक स्तर 11) से विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (चयन ग्रेड/ अकादमिक स्तर 12)/ महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (चयन ग्रेड/ अकादमिक स्तर 12)

1) उन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2) उन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किसी दो को पूर्ण किया होः (i) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, शोध कार्यविधि कार्यशालाओं की श्रेणी में से एक पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम पूर्ण किया हो। (ii) कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) की अवधि का शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम पूर्ण किया हो, अथवा (iii) कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) के प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों, और (iv) संगत विषय में (ई– प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो/ विकसित किया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि;

(i) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले पांच वर्षों में से कम से कम चार वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 5 में विनिर्दिष्ट किया गया है; और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की गई जाएगी।

III. विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (चयन ग्रेड/ अकादमिक स्तर 12)/ महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (चयन ग्रेड/ अकादमिक स्तर 12) से विश्वविद्यालय उप निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (अकादमिक स्तर 13क)/ महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (अकादमिक स्तर 13क) में प्रोन्नति हेतु

1) उन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;

2) उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किसी दो को पूर्ण किया हो: (i) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, शोध कार्यविधि कार्यशालाओं की श्रेणी में से एक पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम पूर्ण किया हो। (ii) कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) की अवधि का शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम पूर्ण किया हो, (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) के प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों), और (iii) संगत विषय में (ई– प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो/ विकसित किया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि;

(i) उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 5 में विनिर्दिष्ट किया गया है; और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

IV. विश्वविद्यालय उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद/ महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (अकादमिक स्तर 13क) से विश्वविद्यालय उप निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद/ महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (अकादमिक स्तर 14) में सीएएस प्रोन्नति के लिए मानदण्ड निम्नलिखित होगें:

1) उन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;

2) उन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किसी एक को पूर्ण किया हो:

(i) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, शोध कार्यविधि कार्यशालाओं की श्रेणी में से एक पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम पूर्ण किया हो। (ii) कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) की अवधि का शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम पूर्ण किया हो, (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) के प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों), और (iii) संगत विषय में (ई– प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो/ विकसित किया हो।

3) कम से कम दो सप्ताह की अवधि की प्रतिस्पर्धाओं और अनुशिक्षण कैम्पों के आयोजन का साक्ष्य।

4) राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतर्विश्वविद्यालयी/ संयुक्त विश्वविद्यालयी आदि जैसी प्रतिस्पर्धाओं के लिए दलों/ एथलिटों द्वारा बेहतर निष्पादन कराने के साक्ष्य आदि।

5) शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद और खेलकूद विज्ञान में पीएचडी उपाधि धारक हो।

सीएएस प्रोन्नति मानक :

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि;

(i) वह गत 3 वर्षों की समीक्षा अवधि में से कम से कम दो वर्षों में 'संतुष्ट' या 'बेहतर' ग्रेड की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करता है जैसा की के परिशिष्ट II, तालिका 5 में विनिर्दिष्ट है, और;

(ii) प्रोन्नति की संस्तुति इन नियमों के अनुसार गठित एक चयन समिति की सिफारिशों पर साक्षात्कार में किए गए प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी।

6.5 इस व्यवसाय में आने वाले उच्च मैरिट, उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान प्रकाशनों की अधिक संख्या और उपयुक्त स्तर पर अनुभव वाले सह– आचार्य अथवा आचार्य का अग्रिम वेतन वृद्धि का विवेकपूर्ण पुरस्कार, संकाय में अन्य शिक्षकों के वेतन ढांचे और मेरिट– विशिष्ट कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले की मैरिट के संदर्भ में व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करते समय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय अथवा भर्ती करने वाली संस्था के उपयुक्त प्राधिकारी की सक्षमता पर आधारित होगा। अग्रिम वेतन वृद्धि का

यह विवेकपूर्ण पुरस्कार उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो सहायक आचार्य/ सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के रूप में इस पेशे में आते हैं और जो पीएचडी, एमफिल अथवा एमटेक और एलएलएम की उपाधि प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि, चयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय और रिकॉर्ड के अनुसार सेवा में आने वाले ऐसे सहायक आचार्य/ सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अग्रिम वेतनवृद्धि के विवेकपूर्ण पुरस्कार के पात्र हो सकते हैं जिनके पास पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पोस्ट डॉक्टोरल शिक्षा शोध अनुभव और सिद्ध पूर्ववृत्त हों।

7.0 विश्वविद्यालयों के सम कुलपति/कुलपति का चयन :

7.1 सम कुलपति :

सम कुलपति की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिशों के आधार की जाएगी।

7.2 यह कुलपति का विशेषाधिकार होगा कि वह एक व्यक्ति की कार्यकारी परिषद् में सम कुलपति के रुप में सिफारिश करे। सम कुलपति, कुलपति की कार्यालय अवधि समाप्त होने तक ही कार्यालय में बना रहेगा।

7.3 कुलपति

(i) सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठता, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता सम्पन्न व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त किया जाएगा। कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति एक विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए आचार्य के रूप में अनुभव या एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन मैं शैक्षणिक नेतृत्व के साक्ष्य के साथ 10 वर्षों के अनुभव के साथ एक विशिष्ट शिक्षाविद् होना चाहिए ।

(ii) कुलपति के पद हेतु चयन एक खोज सह चयन समिति के माध्यम से एक सार्वजनिक अधिसूचना या नामांकन या प्रतिभा खोज प्रक्रिया या इनके संयोजन से 3 से 5 लोगों के एक पैनल द्वारा उचित पहचान के माध्यम से की जानी चाहिए। ऐसी खोज सह चयन समिति के सदस्य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए और किसी भी प्रकार से संबंधित विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों से नहीं जुड़े होने चाहिए। पैनल तैयार करते समय खोज सह चयन समिति को शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश और विदेश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली से अवगत होने के अतिरिक्त शैक्षणिक और प्रशासनिक अभिशासन में पर्याप्त अनुभव को लिखित रूप में पेनल सहित कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति को देना चाहिए। राज्यों, निजी और सम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चुनाव हेतु खोज सह चयन समिति के एक सदस्य का नामांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति द्वारा किया जाना चाहिए ।

(iii) कुलपति की नियुक्ति खोज सह चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल के नामों में से कुलाध्यक्ष/ कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।

(iv) कुलपति का कार्यकाल उसकी मौजूदा सेवा अवधि का भाग बन जाएगा, जो उसे सेवा से जुड़े सभी लाभों हेतु पात्र बनाएगी।

8.0 इतर कार्यार्थ छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, सबैटिकल छुट्टी

8.1 इतर कार्यार्थ छुट्टी

(i) एक शैक्षणिक वर्ष में 30 दिन तक की इतर कार्यार्थ छुट्टी निम्नलिखित प्रयोजनार्थ प्रदान की जा सकती है :

(क) विश्वविद्यालय द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में या विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय की अनुमति के साथ अभिविन्यास कार्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, शोध पद्धति कार्यशाला, संकाय अधिष्ठापन कार्यक्रम, सम्मेलन, संगोष्ठी या विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिए ;

(ख) विश्वविद्यालय को संस्थानों और विश्वविद्यालयों से ऐसे संस्थानों और महाविद्यालयों में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रण मिलने और उसे उपकुलपति/ महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा स्वीकृत करने की स्थिति में;

(ग) विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर अन्य भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय, अन्य किसी एजेंसी, संस्था, या संगठन में काम करने हेतु;

(घ) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सहयोगी विश्वविद्यालय या अन्य किसी समान शैक्षणिक निकाय द्वारा नियुक्त समिति के शिष्टमंडल में भाग लेने या काम करने पर; और

(ङ) विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा उसे दिया गया अन्य कोई कार्य करने के लिए।

(ii) प्रत्येक अवसर पर छुट्टी की अवधि इस प्रकार होनी चाहिए जिसे स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा अनिवार्य समझा जाए।

(iii) पूर्ण वेतन के साथ छुट्टी दी जा सकती है बशर्ते यदि शिक्षक एक अध्येतावृत्ति या मानदेय या उसके सामान्य खर्च हेतु आवश्यक राशि से इतर कोई और वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है तो कम वेतन और भत्तों के साथ इतर कार्यार्थ छुट्टी को स्वीकृति दी जा सकती है।

(iv) इतर कार्यार्थ छुट्टी को अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी या वेतन रहित छुट्टी या असाधारण छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

(v) इतर कार्यार्थ छुट्टी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डीएसटी इत्यादि की बैठकों में भाग लेने हेतु भी प्रदान की जा सकती है, जहां एक शिक्षक को एक शैक्षणिक निकाय, सरकारी एजेंसी या गैर– सरकारी संगठन के साथ उसकी विशेषज्ञता को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया हो।

8.2 अध्ययन छुट्टी :

(i) अध्ययन अवकाश की योजना उन संकायों को छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है जो नव– ज्ञान अर्जित करने और अपने विश्लेषणात्मक कौशल को सुधारना चाहते हैं। जब किसी शिक्षक को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टोरल अहर्ता या विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान में एक शोध परियोजना हेतु छात्रवृत्ति या वजीफा (चाहे किसी भी नाम से कहा जाए) मिलता है तो छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति की राशि को उसके मूल संस्थान द्वारा उसे दिए जा रहे वेतन से नहीं जोड़ना चाहिए। पुरस्कृत व्यक्ति को छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति की संपूर्ण अवधि के लिए वेतन दिया जाना चाहिए बशर्ते कि वह मेजबान देश में शिक्षण जैसी कोई अन्य लाभकारी नौकरियां नहीं करता हो।

(ii) अध्ययन छुट्टी पर गए एक शिक्षक को उस छुट्टी अवधि के दौरान भारत या विदेश में किसी संगठन के अंतर्गत नियमित या अंशकालिक नियुक्ति के अंतर्गत कोई कार्य नहीं करेगा। हालांकि, उसे भारत या विदेश में किसी भी संस्थान में नियमित रोजगार के अतिरिक्त एक मानदेय या किसी और प्रकार की सहायता के साथ एक अध्येतावृत्ति या एक शोध छात्रवृत्ति या एक तदर्थ शिक्षण और शोध कार्य स्वीकृत करने की अनुमति है। यदि उसका/उसकी प्रधान संस्था की कार्यकारिणी परिषद्/ सिंडिकेट चाहे तो इस संबंध में प्राप्त किसी पावती के आधार पर उसके शिक्षण इत्यादि जो कि उसके नियोजक द्वारा निर्धारित किया जाएगा, के स्थान पर कम वेतन और भत्तों पर अध्ययन छुट्टी दे सकती है।

(iii) अध्ययन छुट्टी प्रवेश स्तर पर नियुक्त किए गए व्यक्ति जैसे सहायक आचार्य/ सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सहायक निदेशक/ महाविद्यालय डीपीईएंडएस (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान के सहायक आचार्य या आचार्य जो अन्यथा सबैटिकल छुट्टी के लिए पात्र हैं के अतिरिक्त) को कम से कम 3 वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात् एक विशिष्ट क्षेत्र में अध्ययन करने या उसके विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान में उसके कार्य से सीधे संबंधित शोध या विश्वविद्यालय संगठन के विभिन्न पहलुओं और शिक्षा की पद्धतियों के विशेष अध्ययन हेतु पूर्ण योजना देने के पश्चात् प्रदान की जानी चाहिए।

(iv) अध्ययन छुट्टी संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की सिफारिशों पर कार्यकारिणी परिषद/ सिंडिकेट द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। अपवाद स्वरूप मामलों जिसमें कार्यकारिणी परिषद्/ सिंडिकेट संतुष्ट हो कि इस प्रकार छुट्टी को बढ़ाया जाना शैक्षणिक आधार पर अपरिहार्य है और विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान के हित में है, को छोड़कर छुट्टी एक बार में 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं दी जानी चाहिए।

(v) अध्ययन छुट्टी समाप्त होने के पश्चात् कार्य पर लौटने की संभावित तिथि के 5 वर्ष के अंदर उस शिक्षक के सेवानिवृत्त होने की स्थिति में उसे अध्ययन छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी।

(vi) किसी को भी उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान अध्ययन छुट्टी दो बार से अधिक प्रदान नहीं की जाएगी। अपितु, संपूर्ण सेवाकाल के दौरान ग्राह्य अध्ययन छुट्टी की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vii) अध्ययन छुट्टी एक बार से अधिक दी जा सकती है बशर्ते कि अध्ययन छुट्टी की पहले वाली अवधि पूर्ण होने पर शिक्षक के वापस आने के पश्चात् पांच वर्ष से कम का समय नहीं हुआ हो। आगामी अध्ययन छुट्टी की अवधि हेतु शिक्षक को पूर्व में ली गई छुट्टी की अवधि के दौरान किए गए कार्य के बारे में सूचित करना होगा और संभावित अध्ययन छुट्टी की अवधि के दौरान किए जाने वाले कार्य का विवरण भी देना होगा।

(viii) कोई भी शिक्षक जिसे अध्ययन छुट्टी प्रदान की गई है, को कार्यकारिणी परिषद्/ सिंडिकेट की अनुमति के बिना अध्ययन पाठ्यक्रम या शोध कार्यक्रम को पर्याप्त रूप से बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि अध्ययन पाठ्यक्रम स्वीकृत अध्ययन छुट्टी की तुलना में कम पड़ता है, तो शिक्षक को अध्ययन पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात सेवा में वापस आना होगा, जब तक की कार्यकारिणी परिषद/ सिंडिकेट की अग्रिम मंजूरी से कम हुई अवधि में प्राप्त की असाधारण छुट्टी नहीं माना जाता है।

(ix) ड्यूटी से अनुपस्थिति रहने की अधिकतम अवधि जो कि तीन वर्ष से अधिक नहीं हो, के अध्यधीन, अध्ययन छुट्टी में अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी, असाधारण छुट्टी जोडी जा सकती है बशर्ते कि शिक्षक के खाते में पड़ी अर्जित छुट्टियों को शिक्षक के स्वविवेक के अनुसार उपयोग किया जाए। जब अध्ययन छुट्टी, छुट्टियों से लगातार ली गई हो तब अध्ययन छुट्टी की अवधि, छुट्टियों के समाप्त होने के पश्चात् आरंभ हुई मानी जानी चाहिए। एक शिक्षक जो कि अध्ययन छुट्टी के दौरान उच्चतर पद पर चयनित हुआ हो, उसे पद ग्रहण करने के पश्चात् उस पद पर रखा जाएगा और उच्चतर वेतनमान प्रदान किया जाएगा।

(x) अध्ययन छुट्टी की अवधि को सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन/ अंशदायी भविष्य निधि) के प्रयोजनार्थ सेवा में जोड़ा जाना चाहिए, बशर्ते शिक्षक अपनी अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान में पुनः कार्यग्रहण करता है और जिस अवधि के लिए बंधपत्र निष्पादित किया गया है, उस अवधि तक संस्थान की सेवा करता है।

(xi) एक शिक्षक को प्रदान की गई अध्ययन छुट्टी निरस्त मानी जाएगी यदि मंजूरी के बारह माह के भीतर वह प्राप्त नहीं की जाती है बशर्ते कि जब प्रदान की गई अध्ययन छुट्टी को निरस्त कर दिया गया हो, शिक्षक उक्त छुट्टी के लिए पुनः आवेदन कर सकता है ।

(xii) अध्ययन छुट्टी लेने वाले शिक्षक को यह वचन देना होगा कि वह अध्ययन छुट्टी समाप्त होने के पश्चात सेवा में वापस आने पर सेवा में शामिल होने की तिथि से लेकर लगातार कम से कम 3 वर्षों तक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय/ संस्थान की सेवा करेगा।

(xiii) एक शिक्षक–

(क) जो उसे प्रदान की गई अध्ययन छुट्टी की अवधि के भीतर अपना अध्ययन पूरा करने में असमर्थ रहता है, अथवा

(ख) जो अपनी अध्ययन छुट्टी समाप्त होने के पश्चात विश्वविद्यालय की सेवाओं को पुनः शामिल होने में असफल रहता है, अथवा

(ग) जो विश्वविद्यालय की सेवा में पुनः शामिल होता है लेकिन सेवा में शामिल होने के पश्चात निर्धारित सेवा अवधि को पूरा किए बिना सेवा छोड़ देता है, अथवा

(घ) जिसे उक्त अवधि के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा सेवा से निष्कासित किया जाता है अथवा हटाया जाता है तो वह शिक्षक छुट्टी वेतन में दी गई राशि और उस पर दिए गए भत्तों और अन्य खर्चों अथवा उसको या उसकी ओर से अध्ययन पाठ्यक्रम से संबंधित भुगतान की राशि के प्रतिदाय के लिए बाध्य है।

स्पष्टीकरण:

यदि एक शिक्षक छुट्टी अवकाश को बढ़ाने की मांग करता है और उसकी छुट्टी नहीं बढ़ाई जाती है लेकिन वह मूलतः मंजूर की गई छुट्टी की समाप्ति के पश्चात् सेवा में वापस नहीं आता है तो इन्हीं विनियमों के अंतर्गत वसूली के प्रयोजनार्थ यह माना जाएगा कि वह छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात सेवा में पुनः वापस आने में असफल रहा है।

उपरोक्त उपबंध के बावजूद, कार्यकारिणी परिषद/ सिंडिकेट आदेश दे सकता है कि इन विनियमों में से कुछ भी उस शिक्षक पर लागू नहीं होगा, जिसे अध्ययन छुट्टी से वापस आने के बाद 3 वर्ष के भीतर चिकित्सा आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान की गई है। बशर्ते आगे, यदि कार्यकारिणी परिषद/ सिंडिकेट इन विनियमों के अंतर्गत शिक्षक द्वारा प्रतिदाय राशि को किसी अन्य अपवादस्वरूप मामले में माफ करता है या कम करता है तो इसके कारण का रिकॉर्ड रखा जाए।

(xiv) छुट्टी की मंजूरी के पश्चात् शिक्षक को छुट्टी पर जाने से पहले विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान के पक्ष में एक बंधपत्र निष्पादित करना होगा जिससे वह उपर्युक्त पैरा (x) से (xiii) में दी गई शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा और उपर्युक्त पैरा (x) से (xiii) के अनुरूप विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान को प्रतिदाय हो सकने वाली राशि वित्त अधिकारी/कोषाध्यक्ष की संतुष्टि के अनुरूप अचल संपत्ति को धरोहर राशि या एक बीमा कंपनी के एक निष्ठा बंधपत्र या एक अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति अथवा दो स्थाई अध्यापकों की प्रतिभूति देनी होगी।

(xv) अध्ययन छुट्टी पर गए शिक्षक को अपने मूल विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान के कुलसचिव/ प्राचार्य के समक्ष उसके पर्यवेक्षक अथवा संस्थान के प्रमुख से उसकी प्रगति की छमाही रिपोर्ट जमा करानी होगी। ऐसी रिपोर्ट अध्ययन छुट्टी की अवधि के प्रत्येक 6 माह की समाप्ति से 1 माह पूर्व कुलसचिव/ प्राचार्य के पास पहुच जानी चाहिए। यदि रिपोर्ट कुलसचिव/ प्राचार्य के पास विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं पहुंचती है तो छुट्टी हेतु वेतन का भुगतान को ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति तक आस्थगित रखा जा सकता है।

(xvi) छुट्टी पर गए शिक्षक को अध्ययन छुट्टी अवधि के पूरा होने पर एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी होगी। अध्ययन छुट्टी की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए शोध दस्तावेज/ विनिबंध/ शैक्षणिक पत्रों की एक प्रति प्राथमिक रूप से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जानी चाहिए।

(xvii) संकाय सदस्य, विशेषरूप से सहायक आचार्य के स्तर पर कनिष्ठ संकाय के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने की दृष्टि से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थानों और उनके अधीनस्थ विभागों के प्रमुखों को संकाय सुधार के हित को ध्यान में रखते हुए अध्ययन छुट्टी प्रदान करने में उदार होना चाहिए ताकि दीर्घावधि में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान के शैक्षणिक मानक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सके।

8.3 सबैटिकल छुट्टी :

(i) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के स्थायी, पूर्णकालिक शिक्षक जिन्होंने उपाचार्य/ सह आचार्य या आचार्य के रूप में 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, को विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अपनी कुशलता और उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से अध्ययन अथवा शोध अथवा अन्य कोई शैक्षणिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबैटिकल छुट्टियां प्रदान की जाएं। इन छुट्टियों की अवधि, एक बार में, एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और शिक्षक के संपूर्ण कॅरियर में दो वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) एक शिक्षक जिसने अध्ययन छुट्टी ली हैं, वह तब तक सबैटिकल छुट्टी का हकदार नहीं होगा जब तक कि शिक्षक पहले वाली अध्ययन छुट्टी से वापस आने की तिथि के पांच वर्ष की अवधि पूर्ण न की गई हो, अथवा एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के किसी अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा न कर ले ।

(iii) एक शिक्षक को सबैटिकल छुट्टी के दौरान उसके सबैटिकल छुट्टी पर जाने से तुरंत पहले वाली उपर्युक्त दरों पर वेतन और भत्ते (विहित शर्तें पूरी की जाने के अध्यधीन) मिलने चाहिए।

(iv) सबैटिकल छुट्टी पर गए एक शिक्षक को उस छुट्टी अवधि के दौरान भारत में या विदेश में किसी संगठन के अंतर्गत नियमित या अंशकालिक नियुक्ति के अंतर्गत कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि, उसे भारत या विदेश में किसी भी संस्थान में नियमित रोजगार के अतिरिक्त एक मानदेय या किसी और प्रकार की सहायता के साथ एक अध्येतावृत्ति या एक शोध छात्रवृत्ति या एक तदर्थ शिक्षण और शोध कार्य स्वीकृत करने की अनुमति है बशर्ते कि ऐसे मामले में कार्यकारिणी परिषद्/ सिंडिकेट, यदि चाहे तो, नियोजक द्वारा निर्धारित कम वेतन और भत्तों पर सबैटिकल छुट्टी प्रदान की जा सकती है।

(v) सबैटिकल छुट्टी की अवधि के दौरान शिक्षक को नियत तिथि पर वेतन वृद्धि प्राप्त करने की अनुमति होगी। छुट्टी की अवधि को पेंशन/ अंशदायी भविष्य निधि के प्रयोजनार्थ हेतु सेवा में जोड़ा जाना चाहिए, *बशर्ते कि* शिक्षक अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय संस्थान में पुनः कार्यग्रहण करे।

8.4 विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षकों हेतु अन्य प्रकार की छुट्टी के नियम

स्थायी अध्यापकों के लिए निम्नलिखित प्रकार की छुट्टियां स्वीकार्य होगी :

(i) छुट्टी जैसे आकस्मिक छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी और इतर कार्यार्थ छुट्टी को ड्यूटी समझा जाए;

(ii) सेवा द्वारा अर्जित की गई छुट्टियां जैसे अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी ;

(iii) ड्यूटी के बिना अर्जित की गई छुट्टियां जैसे असाधारण छुट्टी और अर्जन शोध्य छुट्टी ;

(iv) छुट्टी खाते से नहीं काटी गई छुट्टी;

(v) शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु प्राप्त की गई छुट्टी जैसे अध्ययन छुट्टी, सबैटिकल छुट्टी और शैक्षणिक छुट्टी;

(vi) स्वास्थ्य के आधार पर प्राप्त की गई छुट्टी जैसे प्रसूति छुट्टी और संगरोध छुट्टी;

(ख) कार्यकारिणी परिषद/सिंडिकेट *अपवादस्वरूप मामलों में* किसी भी प्रकार की शर्तें और निबंधन के अध्यधीन जैसा वह उचित समझे कोई भी अन्य छुट्टी दे सकती है, जिसके लिए कारण दर्ज किया जाना चाहिए।

I. आकस्मिक छुट्टी

(i) किसी शिक्षक को दी जाने वाली आकस्मिक छुट्टी की संख्या एक शैक्षणिक वर्ष में आठ दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) आकस्मिक छुट्टी को विशेष आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तथापि, ऐसी आकस्मिक छुट्टी को रविवार सहित अन्य अवकाशों के साथ जोड़ा जा सकता है। आकस्मिक छुट्टी की अवधि के दौरान आने वाले अवकाश या रविवार को आकस्मिक छुट्टी के रूप में नहीं गिना जाएगा।

II. विशेष आकस्मिक छुट्टी

(i) किसी शिक्षक को एक शैक्षणिक वर्ष में दस से अधिक विशेष आकस्मिक छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए;

(क) विश्वविद्यालय/ लोक सेवा आयोग/ परीक्षा बोर्ड या अन्य इसी प्रकार के निकायों/ संस्थानों की परीक्षा आयोजित कराने के लिए; और

(ख) किसी सांविधिक बोर्ड से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों के निरीक्षण के लिए।

(ii) दस दिनों की ग्राह्य छुट्टी की गणना में की गई वास्तविक यात्रा के दिन, यदि कोई हो, उन स्थानों से वहां तक जहां उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कार्यकलाप हुए है, को इससे बाहर रखा जाएगा।

(iii) इसके अतिरिक्त, नीचे बताए गए स्तर तक विशेष आकस्मिक छुट्टी भी प्रदान की जाए;

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी ऑपरेशन, (पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी) के मामले में छुट्टियां छह कार्य दिवसों तक सीमित रहेगी; और

(ख) एक महिला शिक्षक जो 'नॉन–पयूरपूरल' नसबंदी कराती है। इस मामले में छुट्टी 14 दिन तक सीमित होगी।

(iv) विशेष आकस्मिक छुट्टी जमा नहीं की जा सकती और ना ही इसे आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी और प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक मौके पर स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा इसे छुट्टियों के साथ प्रदान किया जा सकता है।

I. अर्जित छुट्टियां

(i) एक शिक्षक के लिए ग्राहय अर्जित छुट्टियां :

(क) प्रावकाश सहित वास्तविक सेवा का 1/30 ; *सहित*

(ख) उस अवधि का एक तिहाई, यदि कोई हो तो, जिसके दौरान उसे प्रावकाश के दौरान ड्यूटी करनी होगी।

वास्तविक सेवा की अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ, आकस्मिक, विशेष आकस्मिक और इतर कार्यार्थ छुट्‌टी को छोड़कर सभी छुट्टी अवधि को हटाया जाना चाहिए।

(ii) किसी शिक्षक के पास 300 दिनों से अधिक की अर्जित छुट्टी जमा नहीं होनी चाहिए। एक बार में अर्जित छुट्टी मंजूर करने की अधिकतम अवधि 60 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, उच्चतर शिक्षा प्राप्ति या प्रशिक्षण या चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ छुट्टी या जब पूरी छुट्टी या छुट्टी का एक भाग भारत से बाहर बिताया गया हो तो इन मामलों मे 60 दिन से अधिक की अर्जित छुट्टी मंजूर की जा सकती है।

संदेह दूर करने हेतु यह स्पष्ट किया जाता है :

1. जब एक शिक्षक अर्जित छुट्टियों के साथ प्रावकाश को जोड़ता है तो औसत वेतन पर अधिकतम छुट्टी की गणना में प्रावकाश की अवधि को छुट्टी माना जाएगा जिसे विशिष्ट अवधि की छुट्टी में शामिल किया जा सकता है।

2. यदि भारत से बाहर छुट्टी का एक केवल एक हिस्सा बिताया गया हो तो 120 दिन से अधिक की छुट्टी केवल उस स्थिति में दी जाएगी, जबकि भारत में बिताई गई छुट्टियों का भाग कुल मिलाकर 120 दिन से अधिक नहीं हो।

3. शिक्षण स्टॉफ के सदस्यों के लिए अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण की अनुमति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति लागू होनी चाहिए ।

IV. अर्ध–वेतन छुट्टी

किसी स्थायी शिक्षक के लिए सेवा का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 20 दिन की अवधि की अर्ध–वेतन छुट्टी स्वीकृत की सकती है। ऐसी छुट्टी को किसी पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त कर, किसी निजी मामले या किसी शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए।

स्पष्टीकरण :

''एक वर्ष की सेवा पूर्ण की'' का अभिप्राय है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए लगातार की गई सेवा जिसमें असाधारण छुट्टी सहित छुट्टी के साथ–साथ सेवा से अनुपस्थिति की अवधि भी शामिल है।

नोट : सेवानिवृत्ति के समय छुट्टियों के नगदीकरण के प्रयोजनार्थ यदि अर्जित छुट्टियों की संख्या 300 से कम है तो अर्जित छुट्टियों की संख्या की गणना हेतु अर्ध–वेतन छुट्टियों को अर्जित छुट्टियों के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए जैसा कि भारत सरकार/ राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में लागू होता है।

V. परिवर्तित छुट्टी

निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन एक स्थायी शिक्षक को एक पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर परिवर्तित छुट्टी, जो देय अर्ध–वेतन छुट्टी के आधे से अधिक न हो, प्रदान की जा सकती है :

(i) संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान परिवर्तित छुट्टी की अवधि की अधिकतम सीमा 240 दिन होगी;

(ii) परिवर्तित छुट्टी प्रदान किए जाने की स्थिति मे, अर्ध–वेतन छुट्टी के खाते से दोगनी छुट्टी काटी जाएगी; और

(iii) एक साथ ली गई अर्जित छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी की कुल अवधि एक समय में 240 दिनों से अधिक नहीं होगी;

बशर्ते कि इन विनियमों के अधीन कोई परिवर्तित छुट्टी नहीं दी जाएगी, जब तक छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास ना हो कि शिक्षक इस अवधि के समाप्त होने पर अपने कार्य पर वापस लौटेगा।

VI. असाधारण छुट्टी

(i) किसी स्थायी शिक्षक को असाधारण छुट्टी दी जा सकती है जबकि –

(क) कोई अन्य छुट्टी स्वीकार्य ना हो; अथवा

(ख) अन्य छुट्टी ग्राहय हो और शिक्षक असाधारण छुट्टी हेतु लिखित में आवेदन करें।

(ii) असाधारण छुट्टी सदैव बिना वेतन और भत्तों के होगी। इसमें निम्नलिखित मामलों को छोड़कर वेतन वृद्धि की गणना के लिए इस पर विचार नहीं किया जाएगाः

(क) चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर ली गई छुट्टी;

(ख) ऐसे मामलों में जहां कुलपति/ प्राचार्य संतुष्ट हो कि शिक्षक के नियंत्रण से बाहर के कारणों के चलते छुट्टी ली गई थी, जैसे कि नागरिक विद्रोह, अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण कार्यभार ग्रहण करने अथवा पुनः कार्यभार ग्रहण करने में अक्षमता और शिक्षक के खाते में अन्य कोई भी छुट्टी नहीं हो;

(ग) उच्चत्तर अध्ययन जारी रखने हेतु ली गई छुट्टी; और

(घ) शिक्षण पद, अध्येतावृत्ति अथवा शोध– सह– शिक्षण पद के लिए निमंत्रण स्वीकार करने अथवा तकनीकी अथवा अकादमिक महत्व के कार्य सौपे जाने पर छुट्टी प्रदान की गई हो।

(iii) असाधारण छुट्टी को आकस्मिक छुट्टी और विशेष आकस्मिक छुट्टी के अलावा अन्य किसी छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है बशर्ते छुट्टी पर कार्य से लगातार अनुपस्थिति की कुल अवधि, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ली गई हो, 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी (उस छुट्टी की अवधि सहित जो उक्त छुट्टी के साथ जोडी गई है)। कार्य से अनुपस्थिति की कुल अवधि किसी भी स्थिति में व्यक्ति की संपूर्ण सेवा अवधि में पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(iv) छुट्टी प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, अनुपस्थिति की अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से बिना छुट्टी के अनुपस्थिति को असाधारण छुट्टी में परिवर्तित कर सकता है।

VII. 'अर्जन शोध्य छुट्टी '

(i) 'अर्जन शोध्य छुट्टी' कुलपति/ प्राचार्य के विवेक पर स्थायी शिक्षक को उसकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान 360 दिनों से अधिक नहीं प्रदान की जा सकती है, जिसमें से चिकित्सा प्रमाणपत्र पर एक समय में 90 दिन और संपूर्ण रूप से 180 दिन से अधिक की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। उक्त छुट्टी को उनके द्वारा बाद में अर्जित किए गए अर्ध–वेतन छुट्टी से काटा जाएगा।

(ii) 'अर्जन शोध्य छुट्टी' कुलपति/ प्राचार्य द्वारा तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक वह संतुष्ट ना हो कि जहाँ तक उन्हें यह यथोचित पूर्वानुमान हो कि शिक्षक छुट्टी की समाप्ति पर कार्य पर वापस लौटेगा और दी गई छुट्टी अर्जित करेगा।

(iii) एक शिक्षक, जिसे 'अर्जन शोध्य छुट्टी' प्रदान की गई है, उसे तब तक सेवा से त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उसकी सक्रिय सेवा से उसके छुट्टी के खाते में शेष छुट्टी समाप्त नहीं हो जाती अथवा वह इस तरह से अर्जित नहीं की गई अवधि हेतु वेतन और भत्तों के रूप में उसे दी गई धनराशि वापस ना करें। ऐसे मामलों में जहां खराब स्वास्थ्य के कारण सेवानिवृत्ति अपरिहार्य बन जाती है, शिक्षक आगे की सेवा के लिए अशक्त हो जाता है, ऐसे मामलों में अर्जित की जाने वाली छुट्टी की अवधि हेतु वेतन अवकाश का प्रतिदाय कार्यकारी परिषद्/ महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

बशर्ते कि कार्यकारी परिषद्/ महाविद्यालय का शासी निकाय किसी अन्य अपवादस्वरूप मामले में लिखित में कारणों को दर्ज करके, अर्जित की जाने वाली छुट्टी की अवधि हेतु वेतन अवकाश के प्रतिदाय को समाप्त कर सकता है।

VIII. प्रसूति छुट्टी

(i) महिला शिक्षक को पूर्ण वेतन पर पूरी सेवा अवधि में दो बार 180 दिनों से अधिक की प्रसूति छुट्टी नहीं दी जा सकती हैं। प्रसूति छुट्टी अकाल प्रसव हो जाने सहित गर्भपात के मामले में भी प्रदान की जा सकती हैं, बशर्ते कि एक महिला शिक्षक को अपनी सेवा अवधि में 45 दिनों से अधिक छुट्टी नहीं प्रदान की गई हो और छुट्टी हेतु आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए।

(ii) प्रसूति छुट्टी को किसी अर्जित अवकाश, अर्ध–वेतन छुट्टी अथवा असाधारण छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है परंतु प्रसूति छुट्टी को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन के साथ किसी भी छुट्टी को केवल उस स्थिति में प्रदान किया जा सकता है जब उसके अनुरोध के साथ एक चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न हो।

IX. बालचर्या छुट्टी

महिला शिक्षकों को अपने अवयस्क बच्चे/ बच्चों की देखभाल के लिए दो वर्षों की अवधि की छुट्टी प्रदान की जा सकती है। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों की तर्ज पर महिला शिक्षकों को अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान दो वर्षों (730) दिनों की अधिकतम अवधि हेतु बालचर्या छुट्टी प्रदान की जा सकती है। ऐसे मामलों में जहां बालचर्या छुट्टी 45 दिनों से अधिक की अवधि के लिए प्रदान की गई हो तो विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान एक अंशकालिक/ वैकल्पिक अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पूर्व जानकारी प्रदान कर नियुक्त कर सकते हैं।

X. पितृत्व अवकाश

पुरुष शिक्षकों को उनकी पत्नी की प्रसूति के दौरान 15 दिनों की पितृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकता है पर ऐसा अवकाश केवल दो बच्चों पर ही प्रदान किया जाएगा।

XI. दत्तक ग्रहण छुट्टी

दत्तक ग्रहण छुट्टी केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार प्रदान की जा सकती है।

XII. सरोगेसी हेतु छुट्टी

सरोगेसी हेतु छुट्टी भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और मानदंडों के अनुसार लागू होगी।

9. शोध संवर्धन अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा संबंधित एजेंसी (केंद्र/राज्य सरकार) शिक्षकों और अन्य गैर– व्यवसायिक अकादमिक स्टॉफ को अपनी नियुक्ति के पश्चात् शीघ्र शोध शुरू करने के लिए सामाजिक विज्ञान, मानविकी और भाषा में 3 लाख रुपए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 6 लाख रुपए तक स्टार्टअप अनुदान प्रदान कर सकते हैं।

9.1 परामर्शदात्री कार्य

संस्थाओं और परामर्शदाता शिक्षकों के बीच परामर्शदात्री नियमों, निबंधनों, शर्तों और राजस्व साझा करने के मॉडल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पृथक परामर्शदात्री नियमों के अनुसार किया जाएगा।

10.0 सी.ए.एस. के अंतर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना करना

सहायक आचार्य, सह–आचार्य, आचार्य अथवा किसी अन्य नाम से जाने वाले रूप में एक शिक्षक को सी.ए.एस. के अंतर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं अथवा सीएसआईआर, आईसीएआर, डीआरडीओ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीएमआर और डीबीटी जैसे अन्य वैज्ञानिक/ व्यावसायिक संगठनों में सहायक आचार्य, सह– आचार्य अथवा आचार्य अथवा समकक्ष के रूप में पूर्व नियमित सेवा, चाहे राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हो, की गणना की जानी चाहिए, बशर्ते कि–

(क) धारित पद की अनिवार्य अर्हताएं सहायक आचार्य, सह– आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई अर्हताओं से कम नहीं हो।

(ख) पद, सहायक आचार्य (व्याख्याता), सह– आचार्य (उपाचार्य) और आचार्य के पद के रूप में समकक्ष श्रेणी का हो/ था अथवा पूर्व संशोधित वेतनमान पर हो/ रहा हो।

(ग) संबंधित सहायक आचार्य, सह– आचार्य और आचार्य के पास सहायक आचार्य, सह– आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताए होनी चाहिए।

(घ) ऐसी नियुक्तियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार/ केंद्र सरकार/ संस्थानों की निर्धारित चयन प्रक्रिया के निर्धारित विनियमों के अनुसार पद भरे गए हो।

(ङ) किसी भी अवधि के दौरान पूर्व नियुक्ति अतिथि व्याख्याता के रूप में नहीं की गई हो।

(च) पूर्व तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा परिशिष्ट सेवा (जिस भी नाम से इसे जाना जाए) की प्रत्यक्ष भर्ती और प्रोन्नति हेतु गणना की जाएगी, बशर्ते कि–

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, हेतु अनिवार्य अर्हताएं आवश्यक धारित पद की आवश्यक अर्हताओं से कम ना हो;

(ii) पदधारी की नियुक्ति, विधिवत रूप से गठित चयन समिति/ संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की गई हो;

(iii) पदधारी नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सहायक आचार्य, सह–आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के मासिक सकल वेतन से कम कुल सकल परिलब्धियां प्राप्त नहीं कर रहे हों; और

(छ) इस खंड के अंतर्गत विगत सेवा की गणना करते समय संस्थान (निजी/ स्थानीय निकाय/ सरकारी), जहां पूर्व सेवाएं प्रदान की गई थी, की प्रबंधन के स्वरूप का संदर्भ देते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

11.0 परिवीक्षा और स्थायीकरण की अवधि

11.1 किसी शिक्षक की परिवीक्षा की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी, जिसे असंतोषजनक प्रदर्शन किए जाने की स्थिति में एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

11.2 परिवीक्षाधीन शिक्षक को एक वर्ष के अंत में स्थायी किया जाएगा, जब तक कि पहले वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी विशिष्ट आदेश के माध्यम से इस अवधि को एक और वर्ष बढ़ाया ना गया हो।

11.3 इस विनियम के खंड 11 के अध्यधीन, विश्वविद्यालय/ संबंधित संस्थान के लिए यह अनिवार्य है कि वह संतोषजनक कार्य निष्पादन के सत्यापन की यथावत प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के 45 दिनों के भीतर पदधारियों को स्थायी करने का आदेश जारी करें।

11.4 परिवीक्षा और स्थायीकरण नियमों को केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी केवल भर्ती के शुरूआती चरण पर ही लागू किया जाएगा।

11.5 परिवीक्षा और स्थायीकरण संबंधी केंद्र सरकार के अन्य सभी नियम यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

12.0 शिक्षकों के पदों का सृजन और उनका भरा जाना

12.1 जहां तक व्यवहार्य हो, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का पद पिरामिड क्रम में सृजित किए जाएं, उदाहरण के लिए, आचार्य के 1 पद के लिए प्रति विभाग सह– आचार्य के 2 पद और सहायक आचार्यों के चार पद होने चाहिए।

12.2 विश्वविद्यालय प्रणाली में सभी स्वीकृत/ अनुमोदित पद तत्काल आधार पर भरे जाएंगे।

13.0 परिशिष्ट आधार पर नियुक्तियां

परिशिष्ट आधार पर शिक्षक की नियुक्ति तभी की जानी चाहिए जब पूर्ण रूप से अनिवार्य न हो और जब छात्र शिक्षक का अनुपात निर्धारित मानदंड पर खरा न उतरता हो। ऐसे किसी मामले में, उक्त नियुक्तियों की संख्या महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में संकाय पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हें नियुक्त करने संबंधी अर्हताएं और चयन प्रक्रिया वही होनी चाहिए जो नियमित आधार पर नियुक्त किए गए शिक्षकों पर लागू होती हैं। उक्त अनुबंधित शिक्षकों को दी गई निर्धारित परिलब्धियां नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सहायक आचार्य के मासिक सकल वेतन से कम नहीं होनी चाहिए। प्रारंभ में, ऐसी नियुक्तियां एक शिक्षा सत्र से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए और ऐसे किसी नए शिक्षक के कार्य निष्पादन की अन्य सत्र हेतु परिशिष्ट आधार पर नियुक्त करने से पहले शैक्षणिक कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जानी चाहिए। जब प्रसूति छुट्टी, बालचर्या छुट्टी इत्यादि के कारण रिक्तियां भरना पूर्ण रूप से अनिवार्य हो, तभी परिशिष्ट आधार पर ऐसी नियुक्तियां की जानी चाहिए।

14.0 शिक्षण के दिवस

14.1 विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में कम से कम 180 शिक्षण दिवस होने चाहिए अर्थात् 6 दिनों के सप्ताह में न्यूनतम 30 सप्ताह के वास्तविक शिक्षण दिवस होने चाहिए। शेष दिनों में, 12 सप्ताह को प्रवेश और परीक्षा संबंधी कार्यकलापों और सह– पाठ्यचर्या, खेलकूद, महाविद्यालय दिवस इत्यादि हेतु शिक्षणेत्तर दिवसों के लिए उपयोग किया जा सकता है। 8 सप्ताह प्रावकाश के लिए और 2 सप्ताह विभिन्न सरकारी छुट्टियों के लिए दिए जा सकते हैं। यदि विश्वविद्यालय पांच दिवसीय प्रति सप्ताह की पद्धति अपनाता है तो सप्ताह की संख्या तदनुसार बढाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छह दिवसीय सप्ताह में 30 सप्ताह के समकक्ष वास्तविक शिक्षण कार्य किया जा सके।

उक्त उपबंध को निम्नानुसार संक्षेप में दिया गया है –

	सप्ताहों की संख्या : एक सप्ताह में 6 दिवसीय पद्धति		**सप्ताहों की संख्या : एक सप्ताह में 5 दिवसीय पद्धति**	
श्रेणीकरण	**विश्वविद्यालय**	**महाविद्यालय**	**विश्वविद्यालय**	**महाविद्यालय**
शिक्षण और ज्ञान अर्जन प्रक्रिया	30 (180 दिन) सप्ताह	30 (180 दिन) सप्ताह	36 (180 दिन) सप्ताह	36 (180 दिन) सप्ताह
प्रवेश, परीक्षा और परीक्षा हेतु तैयारी	**12**	**10**	**8**	**8**
प्रावकाश	**8**	**10**	**6**	**6**
सरकारी छुट्टियां (शिक्षण दिनों में तदनुसार वृद्धि करना और उनका समायोजन करना)	**2**	**2**	**2**	**2**
कुल	**52**	**52**	**52**	**52**

14.2 प्रावकाश में 2 सप्ताह की कमी करने के बदले विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अर्जित अवकाश में उक्त अवधि की एक तिहाई दिनों के अवकाश की वृद्धि की जा सकती है। तथापि, महाविद्यालय के पास एक वर्ष में कुल 10 सप्ताहों के प्रावकाश का विकल्प होगा और प्रावकाश के दौरान कार्य करने की आवश्यकता के अलावा किसी और कारण से अर्जित अवकाश नहीं दिया जाएगा जिसके लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के मामले में अर्जित अवकाश के रूप में एक तिहाई अवधि की छुट्टी दी जाएगी।

15.0 कार्यभार

15.1 पूर्णकालिक रोजगार के मामले में एक शिक्षा वर्ष में शिक्षकों का कार्यभार 30 कार्य सप्ताह (एक सौ अस्सी शिक्षण दिवस) के लिए एक सप्ताह में 40 घंटों से कम नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह कम से कम 5 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध हो। शिक्षक अवर– स्नातक पाठ्यक्रमों के मामले में सामुदायिक विकास/ पाठयेत्तर कार्यकलापों/ पुस्तकालय परामर्श/ शोध हेतु छात्रों को शिक्षित करने के लिए कम से कम प्रतिदिन दो घंटे (प्रति समन्वयक न्यूनतम 15 छात्र) और/ अथवा स्नातकोत्तर

पाठ्यक्रमों के मामले में शोध हेतु प्रतिदिन कम से कम दो घंटे का समय देंगे जिसके लिए विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा आवश्यक स्थान और अवसंरचना प्रदान की जाएगी। प्रत्यक्ष शिक्षण– ज्ञान अर्जन कार्यभार निम्नानुसार होना चाहिए :

सहायक आचार्य	16 घंटे प्रति सप्ताह
सह– आचार्य और आचार्य	14 घंटे प्रति सप्ताह

15.2 ऐसे आचार्य, जो विस्तार तथा प्रशासनिक कार्यों में शामिल हैं, तथा ऐसे सह –आचार्य और सहायक आचार्य जो सक्रिय रूप से प्रशासन कार्य में जुटे हुए हों उन्हें प्रति सप्ताह कार्यों के लिए शिक्षण और ज्ञान अर्जन में दो घंटे की छूट प्रदान की जा सकती है।

16.0 सेवा करार और वरिष्ठता का निर्धारण करना

16.1 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भर्ती के समय विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय और संबंधित शिक्षक के बीच एक सेवा करार होना चाहिए और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार/ प्राचार्य के पास जमा की जाएगी। उक्त सेवा करार पर सरकारी प्रयोजनों के अनुसार विधिवत् रूप से स्टॉम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाएगा।

16.2 खंड 6.0 और इसके उपखंडों और उपखंड 6.1 से 6.4 और इसमें अंतर्विष्ट सभी उपखंड तथा परिशिष्ट – II की तालिका 1 से 5 के अनुसार स्व– मूल्यांकन प्रविधियां, पात्रता के अनुसार, सेवा करार/ रिकॉर्ड का भाग होंगी।

16.3 सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और प्रोन्नत किए गए शिक्षकों के बीच परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण

सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और प्रोन्नत किए गए शिक्षकों के बीच परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण कार्यभार संभालने की तिथि से किया जाएगा और सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रोन्नत किए गए शिक्षकों हेतु पात्रता की तिथि से किया जाएगा, जैसे कि संबंधित भर्तियों की चयन समिति की सिफारिशों में दर्शाया गया है। वरिष्ठता के अन्य सभी मामलों के लिए संबंधित केंद्र/ राज्य सरकार के नियम और विनियम लागू होंगे।

17.0 व्यावसायिक आचार संहिता

I. शिक्षक और उनके दायित्व :

जो कोई भी शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाता है उसका दायित्व होता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाए रखे। एक शिक्षक लगातार अपने छात्रों और समाज की समीक्षा के अधीन रहता है। इसलिए, प्रत्येक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी के बीच कोई भेद नहीं हो। पहले से ही निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्शों और उन्हें छात्रों प्रसार करना एक शिक्षक का स्वयं का आदर्श होना चाहिए। इस व्यवसाय में आगे यह भी आवश्यक है कि शिक्षक शांत, धैर्यवान, मिलनसार और मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो।

एक शिक्षक को :

(i) ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि समुदाय उनसे आशा करता है;

(ii) उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए जो कि पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हों;

(iii) अध्ययन और शोध के माध्यम से लगातार पेशेवर विकास जारी रखने चाहिए;

(iv) ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पेशेवर बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि में भागीदारी करके मुक्त और मैत्रीपूर्ण विचार व्यक्त करने चाहिए;

(v) पेशेवर संगठनों में सक्रिय सदस्यता को बनाए रखना चाहिए और उनके माध्यम से शिक्षा और व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए;

(vi) विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से शिक्षण, अनुशिक्षण, प्रायोगिक ज्ञान, संगोष्ठियों और शोध कार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए;

(vii) शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होना और उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए;

(viii) विश्वविद्यालय के अधिनियम, सांविधि और अध्यादेश का पालन करना चाहिए और विश्वविद्यालय के आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परंपराओं का आदर करना चाहिए;

(ix) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक दायित्वों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे किः प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन और निगरानी करना, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने सहित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित कराने में सहायता करना; और

(x) सामुदायिक सेवा सहित सह– पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर कार्यकलापों के विस्तार में भागीदारी करना।

II. शिक्षक और छात्र

शिक्षक को :

(i) छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए ;

(ii) छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव व्यवहार करना चाहिए;

(iii) छात्रों के व्यवहार और क्षमताओं में अंतर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए;

(iv) छात्रों को उनकी उपलब्धियों में और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और सामुदायिक कल्याण में योगदान देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए;

(v) छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति, जिज्ञासा का भाव और लोकतंत्र, देश भक्ति, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, और शांति के आदर्श का संचरण करना चाहिए;

(vi) छात्रों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नही करना चाहिए;

(vii) गुणों का मूल्यांकन करने में छात्र की केवल उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए;

(viii) कक्षा के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए;

(ix) छात्रों में हमारी राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय उद्देश्यों की समझ विकसित करने में सहायता करना चाहिए;

(x) अन्य छात्रों, सहपाठियों अथवा प्रशासन के विरुद्ध छात्रों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए।

III. शिक्षक और सहयोगी शिक्षक

शिक्षक को :

(i) पेशे से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं के साथ पसंद करेंगे;

(ii) अन्य शिक्षकों के बारे में आदरपूर्वक बात करना और पेशेवर बेहतरी के लिए सहायता देनी चाहिए;

(iii) उच्च प्राधिकारियों को सहयोगियों के विरुद्ध बेबुनियादी आरोप लगाने से बचना चाहिए;

(iv) अपने पेशेवर प्रयासों में जाति, रंग, धर्म, प्रजाति अथवा लिंग संबंधी विचारों को नहीं आने देना चाहिए।

IV. शिक्षक और प्राधिकारी

शिक्षक को :

(i) लागू नियमों के अनुसार अपने व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और अपने स्वयं के संस्थागत निकाय और/ अथवा व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से पेशे के लिए घातक ऐसे नियम में परिवर्तन के लिए कदम उठाने के लिए पेशे के अनुकूल प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन करना चाहिए जो पेशेवर हित में हों।

(ii) निजी ट्यूशन और अनुशिक्षण कक्षाओं सहित अन्य कोई रोजगार और प्रतिबद्धता से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके पेशेवर उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो;

(iii) विभिन्न पदों का कार्यभार स्वीकार करके और उक्त पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके संस्था की नीति निर्माण में सहयोग करना;

(iv) अन्य संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में अपने संगठनों के माध्यम से सहयोग करके पदों को स्वीकार करेंगे;

(v) पेशे की मर्यादा के अनुरूप और हितों के मद्देनजर संस्थाओं की बेहतरी हेतु प्राधिकरणों का सहयोग करना चाहिए;

(vi) परिशिष्ट की शर्तों का अनुपालन करेंगे;

(vii) किसी स्थिति में नियोजन में परिवर्तन से पहले उचित नोटिस देंगे और ऐसे नोटिस की अपेक्षा करेंगे;

(viii) अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त छुट्टियां लेने से बचेंगे और और जहां तक संभव हो सके शैक्षणिक सत्र को पूरा करने हेतु अपने विशेष उत्तरदायित्वों के मद्देनजर छुट्टी लेने से पूर्व सूचना प्रदान करेंगे।

शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी

शिक्षकों को चाहिए कि :

(i) प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में सहयोग से किए जाने वाले कार्यों में शिक्षणेत्तर स्टॉफ को अपना सहकर्मी और समान सहयोगी समझे;

(ii) शिक्षकों और शिक्षणेत्तर स्टॉफ से संबंधित संयुक्त स्टॉफ परिषदों के कार्य में सहायता करें।

VI. शिक्षक और अभिभावक

शिक्षकों को चाहिए कि :

(i) शिक्षक, निकायों और संगठनों के माध्यम से इस बात पर ध्यान देने का प्रयास करें कि संस्थाएं, अभिभावकों, अपने विद्यार्थियों के साथ संपर्क बनाएं और जब कभी आवश्यक हो, अभिभावकों को उनकी निष्पादन रिपोर्ट भेजें और परस्पर विचारों के आदान– प्रदान और संस्था के लाभ हेतु इस प्रयोजनार्थ आयोजित बैठकों में अभिभावकों से भेंट करें।

VII. शिक्षक और समाज

शिक्षकों को चाहिए कि :

(i) इस बात को स्वीकार करें कि शिक्षा एक जन सेवा है और चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास करें;

(ii) समाज में शिक्षा में सुधार करने और समाज के नैतिक और बौद्धिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करे;

(iii) सामाजिक समस्याओं से अवगत हों और ऐसी क्रियाकलापों में भाग लें जो समाज की प्रगति और कुल मिलाकर देश की प्रगति में सहायक हो;

(iv) नागरिक के कर्तव्यों का निवर्हन करें, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग ले और सरकारी सेवा के उत्तरदायित्वों में सहायता करें;

(v) ऐसी क्रियाकलापों में भाग लेने से और सदस्य बनने या किसी भी प्रकार से सहायता करने से बचें जो विभिन्न समुदायों, धर्मों या भाषाई समूहों में नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देती हो, परंतु राष्ट्रीय एकता के लिए सक्रिय होकर कार्य करें।

कुलपति/ सम–कुलपति/ कुलदेशिक

कुलपति/ सम–कुलपति/ कुलदेशिक को चाहिए कि :

(क) नीति निर्माण, प्रचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग और पर्यावरण और धारणीयता के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेरणादायक और प्रेरक मूल्य आधारित अकादमिक और कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करे;

(ख) पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें और निर्णय लें, जोकि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में हो;

(ग) कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा, प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करें;

(घ) विश्वविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें, जिससे अभिनव सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ङ) ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, व्यावसायिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करे;

(च) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

महाविद्यालय के प्राचार्य को चाहिए कि;

(क) नीति निर्माण, प्रचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग और पर्यावरण और धारणीयता के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेरणादायक और प्रेरक मूल्य आधारित अकादमिक और कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करे;

(ख) पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें और निर्णय लें, जोकि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में हो;

(ग) कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा, प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करें;

(घ) विश्वविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें, जिससे अभिनव सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ङ) ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, व्यावसायिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करे;

(च) आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है;

(छ) पेशे की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें;

(ज) शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें;

(झ) समाज सेवा सहित विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में भाग लें;

(ञ) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय) / पुस्तकाध्यक्ष (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय) को चाहिए कि वहः

(क) आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है;

(ख) पेशे की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें;

(ग) शिक्षण और अनुसंधान में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें;

(घ) समाज सेवा सहित विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में भाग लें;

(ङ) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

18.0 उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों को बनाए रखना :

उच्चतर शिक्षा में शिक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थानों द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें अपनाई जाएंगीः

i. इस संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और उनमें समय– समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी उपाधि की मूल्यांकन प्रक्रिया समान होगी। विश्वविद्यालय उक्त विनियमों को इनकी अधिसूचना के पश्चात् छह माह के भीतर अंगीकार कर लेंगे।

ii. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों को पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सेवारत शिक्षकों के लिए पीएचडी सीटों की अधिकता के संबंध में विशेष उपबंध किया जाएगा लेकिन, यदि विभाग में पात्र पर्यवेक्षकों के पास कोई रिक्त सीट उपलब्ध नहीं हो तो यह विभाग में उपलब्ध कुल सीटों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

iii. शोध को बढ़ावा देने के लिए और देश की शोध उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षकों को पीएचडी/ एमफिल विद्वानों के पर्यवेक्षण की अनुमति प्रदान करेगा और आवश्यकता आधारित सुविधाएं प्रदान करेगा, तदनुसार विश्वविद्यालय अपनी उपविधियों तथा अध्यादेशों में संशोधन करेंगे।

iv. इन विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार सभी नव–नियुक्त संकाय सदस्यों को मूल शोध/ कंप्युटेशनल सुविधा स्थापित करने के लिए एक बार प्रारम्भिक धन/ स्टार्ट– अप अनुदान/ शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा।

v. इन विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि को अनिवार्य अपेक्षा बनाया जाएगा।

vi. संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समन्वय स्थापित करने के लिए शोध सुविधाओं, मानव संसाधन, कौशल, और अवसरंचना को साझा करने के लिए राज्य में विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थाओं के बीच अनुसंधान शोध कलस्टर सृजित किए जाएंगे।

vii. विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सभी नव–नियुक्त सहायक आचार्यों के लिए आदर्श रूप से उनके शैक्षिक कार्य शुरू करने से पहले एक माह का अनुगम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा लेकिन यह नव–नियुक्त संकाय सदस्य की भर्ती के निश्चित रूप से एक वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केन्द्रों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/ संस्थाएं, अध्यापक और शिक्षण से संबन्धित पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) योजना के माध्यम से अपने अधिदेश के अनुरूप उक्त अनुगम कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

viii. उक्त अनुगम कार्यक्रमों को सीएएस आवश्यकताओं के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केन्द्रों द्वारा पहले से चलाए जा रहे अभिविन्यास कार्यक्रमों के समतुल्य माना जाएगा। विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थाएं अपने संकाय सदस्यों को चरणबद्ध तरीके से उक्त कार्यक्रमों में भेजेंगे जिससे शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।

ix. पीएमएमएमएनएमटीटी योजना के अंतर्गत स्कूल ऑफ एजुकेशन (एसओई), टीचिंग लर्निंग सेंटर्स (टीएलसी), फेकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स (एफडीसी), सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस इन सांइस एंड मेथेमेटिक्स (सीईएसएमई), सेंटर्स फॉर अकैडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशन मैनेजमेंट (सीएएलईएम) जैसे केन्द्रों द्वारा शिक्षकों/संकाय सदस्यों हेतु आयोजित एक सप्ताह से लेकर एक माह तक के सभी अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्षमता–निर्माण कार्यक्रमों के साथ–साथ अध्यापन– संबंधी और विषय– विशिष्ट

क्षेत्रों के लिए आयोजित किए जा रहे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं पर इन विनियमों के तहत कॅरियर उन्नति योजना में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में विचार किया जाएगा।

19.0 अन्य निबंधन और शर्तें

19.1 पीएचडी/ एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

i. जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दाखिला, पंजीकरण, कोर्स– वर्क और बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन करके संबंधित विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है, वे सहायक आचार्य के रूप में भर्ती के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली वेतन वृद्धि में पाँच गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

ii. सहायक आचार्य के पद पर भर्ती के समय एमफिल उपाधि धारक दो गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

iii. जिन शिक्षकों के पास एलएलएम/ एम.टेक/ एम.आर्क/ एम.ई/ एम.वी.एससी/ एम.डी., आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उपाधि है जिन्हें संबन्धित सांविधिक निकाय/ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है वे भी प्रवेश स्तर पर दो गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

iv.

(क) जो शिक्षक सेवा के दौरान पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे तभी प्रवेश स्तर पर तीन गैर –मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे यदि पीएचडी, रोजगार से सम्बंधित विषय में की गई है और जो विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, कोर्स– वर्क, मूल्यांकन आदि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके प्रदान की गई हो।

(ख) तथापि, उन सेवारत शिक्षकों को जिन्हें इन विनियमों के लागू होने के समय से पहले ही पीएचडी की उपाधि प्रदान कर दी गई है या पीएचडी में नामांकन हो गया हो, जो कोर्स– वर्क और मूल्यांकन पूरा कर चुके हों, यदि कोई हो तो, और पीएचडी की उपाधि प्रदान करने के संबंध में केवल अधिसूचना जारी की गई हो, तो वे भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे, चाहे, पीएचडी की उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

v. अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, वे शिक्षक जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है वे उस स्थिति में भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स– वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

vi. ऐसे सेवारत शिक्षक जिनका अभी पीएचडी में नामांकन नहीं हुआ है, को प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि का लाभ तभी प्राप्त होगा जब वे सेवा में रहते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करें और उक्त नामांकन ऐसे विश्वविद्यालय में होना चाहिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नामांकन सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन करता हो।

vii. ऐसे शिक्षक, जो सेवा के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एमफिल उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं जिन्हें संबंधित सांविधिक निकाय/ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो, भी केवल प्रवेश स्तर पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

viii. ऐसे सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय विज्ञान की विधा में ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पी.एच.डी. प्रदान करने के लिए नामांकन, कोर्स– वर्क, और मूल्यांकन के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का पालन करता हो, वे पांच गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

ix. (क) सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जो सेवाकाल के दौरान कभी भी पुस्तकालय विज्ञान में ऐसे विश्वविद्यालय से जो नामांकन, कोर्स– वर्क, और मूल्यांकन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करता हो, से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

(ख) तथापि, ऐसे शिक्षक, जो सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन हैं, जिन्होंने इन विनियमों के लागू होने से पूर्व पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली है या पहले ही कोर्स वर्क और मूल्यांकन, यदि कोई हों तो, पूरा कर लिया हो और इस सम्बन्ध में केवल अधिसूचना की प्रतीक्षा हो, वे लोग भी केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

ix. सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है, वे प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स–वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

x. अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष और उच्च पुस्तकालय पदों पर आसीन सेवारत व्यक्ति, जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है, केवल उस स्थिति में प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स– वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

xi.ऐसे सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल की उपाधि है, के लिए प्रवेश स्तर पर दो गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी। सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष और जो उच्च पदों पर आसीन हैं, जो सेवा के दौरान किसी भी समय पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल की उपाधि प्राप्त करते हैं के लिए प्रवेश स्तर पर एक गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी।

xii.शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सहायक निदेशक/ महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक, जिनके पास प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा/ शारीरिक शिक्षा और खेलकूद/ खेलकूद विज्ञान में ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त है, जो शारीरिक शिक्षा/ शारीरिक शिक्षा और खेलकूद/ खेलकूद विज्ञान में पीएचडी की उपाधि के लिए नामांकन, कोर्स वर्क, और मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करता हो, के लिए पांच गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी।

xiii.पूर्वगामी खंडों में किसी शर्त के बावजूद भी, जो पहले से ही इस विनियम या पूर्व योजनाओं/ विनियमों के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर या सेवा के दौरान पीएचडी/ एमफिल की उपाधि के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे इस विनियम के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

xiv. शिक्षक, पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संवर्ग जिन्होंने सेवा के दौरान पहले ही पीएचडी/ एमफिल की उपाधि प्राप्त करने हेतु मौजूदा नीति के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त किया है, उन्हें इन विनियमों के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

xv. उन पदों के लिए जहाँ पूर्व योजनाओं/ विनियमों के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर पीएचडी/ एमफिल की उपाधि के आधार पर कोई वेतन वृद्धि स्वीकार्य नहीं थी, वहां पीएचडी/ एमफिल की उपाधि प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ केवल उन नियुक्तियों के लिए होगा, जो इन विनियमों के लागू होने पर या इसके पश्चात् की गई हैं।

19.2 पदोन्नत्ति

जब किसी व्यक्ति की पदोन्नत्ति होगी, तो पदोन्नत्ति पर उनका वेतन नीचे दिए गए पे– मेट्रिक्स अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

पदोन्नति पर, शिक्षक या समकक्ष पद को उस स्तर पर अगले उच्चतर प्रकोष्ठ में प्रविष्ट करके उसके मौजूदा वेतन के अकादमिक वेतन स्तर में कल्पित वेतनवृद्धि की जाएगी और इस प्रकोष्ठ में दर्शाया गया वेतन अब उस पद के अनुरूप नए शैक्षणिक स्तर पर निर्धारित होगा, जहां उसे प्रोन्नत किया गया है। यदि उस वेतन के समान एक प्रकोष्ठ नए स्तर पर उपलब्ध है, तो वह प्रकोष्ठ नया वेतन होगा, अन्यथा उस स्तर पर अगला प्रकोष्ठ शिक्षक या समकक्ष पद का नया वेतन होगा। यदि नए स्तर पर इस पद्धति से परिकलित वेतन नए स्तर के पहले प्रकोष्ठ से कम है, तो वेतन नए स्तर के पहले प्रकोष्ठ पर निर्धारित किया जाएगा।

19.3 भत्ते और लाभ

I. शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संवर्ग हेतु अन्य भत्ते और लाभ, जैसे कि गृहनगर यात्रा रियायत, छुट्टी यात्रा रियायत, विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, गृह निर्माण भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, क्षेत्र–आधारित विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता आदि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान होंगे और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संगत नियमों द्वारा शासित होंगे।

II. केन्द्रीय/ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन, उपदान, अनुग्रह राशि इत्यादि भी केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संवर्ग संबद्ध और घटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों, जैसा भी मामला हो, में लागू होंगे।

III. चिकित्सा संबंधी लाभः शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा संवर्ग के लिए सभी चिकित्सा लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले लाभ के समान होंगे। इसके अलावा, शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा संवर्ग को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत रखा जा सकता है या केंद्र/ राज्य विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों हेतु केंद्र सरकार/ संबंधित राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना, के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, के तहत रखा जा सकता है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट– 1	**मौजूदा पदधारी, जो तालिकाओं में दर्शाई गई विभिन्न श्रेणियों के पदों पर दिनांक 01–01–2016 को आसीन थे, के लिए वेतन निर्धारण हेतु फिटमेंट तालिका, (मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की अधिसूचना के संबंध में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय दिनांक 08–11–2017 का पत्र संख्या शुद्धिपत्र संख्या 1–7/2015 –U-II(1))**

परिशिष्ट– 2	**आकलन मानदंड और पद्धति**
	तालिका 1 से 3 – विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षको हेतु
	तालिका 4 – सहायक पुस्तकाध्यक्ष, उप–पुस्तकाध्यक्ष, पुस्तकाध्यक्ष आदि
	तालिका 5 – सहायक निदेशक/ उप निदेशक/ निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद आदि।

संजीव कुमार नारायण, अवर सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./147/18]

परिशिष्ट 1

मौजूदा पदधारी, जो तालिकाओं में दर्शाई गई विभिन्न श्रेणियों के पदों पर दिनांक 01–01–2016 को आसीन थे, के लिए वेतन निर्धारण हेतु फिटमेंट तालिका

फ. सं. 1–7/2015– U.II(**1**)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

विश्वविद्यालय–2 अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 8 नवम्बर, 2017

शुद्धिपत्र

विषय : सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के संबंध में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के अनुक्रम में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के वेतन में संशोधन की योजना।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के दिनांक 02–11–2017 की आदेश संख्या 1–7/2015–U.II(**1**) में उक्त आदेश में जोड़े गए अनुलग्नक (पृष्ठ 9) में दिए गए आंकड़े

(क) प्रकोष्ठ अकादमिक स्तर 12, पंक्ति 3 को ''84,100'' की बजाय ''84,700'' पढ़ा जाए

(ख) प्रकोष्ठ अकादमिक स्तर 13क, पंक्ति 16 को ''2,04,100'' की बजाय ''2,04,700'' पढ़ा जाए

(ख) प्रकोष्ठ अकादमिक स्तर 14, पंक्ति 9 को ''1,82,100'' की बजाय ''1,82,700'' पढ़ा जाए

2. उक्त आदेश की शेष विषयवस्तु समान रहेगी।

ह0/–
(डॉ. के.के. त्रिपाठी)
निदेशक

प्रति प्रेषित :

1 सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली– 110002

2 केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों/ सम विश्वविद्यालय संस्थाओं के कुलपति

3 प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, सॉउथ ब्लॉक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली

4 सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

5 सचिव, व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

6 सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

7 सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

8 सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा) मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

9 सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली

10 सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव

11 वेबमास्टर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस आदेश को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा तैयार मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु

पे बैंड (रुपए)	15,600 से 39,100			37,400 से 67,000		67,000 से 79,000
18	95,300	1,13,800	1,31,700	2,17,100		
19	98,200	1,17,200	1,35,700			
20	1,01,100	1,20,700	1,39,800			
21	1,04,100	1,24,300	1,44,000			
22	1,07,200	1,28,000	1,48,300			
23	1,10,400	1,31,800	1,52,700			
24	1,13,700	1,35,800	1,57,300			
25	1,17,100	1,39,900	1,62,000			
26	1,20,600	1,44,100	1,66,900			
27	1,24,200	1,48,400	1,71,900			
28	1,27,900	1,52,900	1,77,100			
29	1,31,700	1,57,500	1,82,400			
30	1,35,700	1,62,200	1,87,900			
31	1,39,800	1,67,100	1,93,500			
32	1,44,000	1,72,100	1,99,300			
33	1,48,300	1,77,300	2,05,300			
34	1,52,700	1,82,600	2,11,500			
35	1,57,300	1,88,100				
36	1,62,000	1,93,700				
37	1,66,900	1,99,500				
38	1,71,900	2,05,500				
39	1,77,100					
40	1,82,400					

परिशिष्ट– III

तालिका 1

विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु आकलन मानदंड और पद्धति

क्रम संख्या	क्रियाकलाप	ग्रेडिंग मानदंड
1	शिक्षण : (पढ़ाई गई कक्षाओं की संख्या/सौंपी गई कुल कक्षाएं) X 100 प्रतिशत (पढ़ाई गई कक्षाओं में अनुशिक्षण, प्रयोगशाला और शिक्षण संबंधी अन्य क्रियाकलाप शामिल हैं)	80 प्रतिशत और अधिक – अच्छा 80 प्रतिशत से कम लेकिन 70 प्रतिशत से अधिक – संतोषजनक 70 प्रतिशत से कम – संतोषजनक नहीं
2	विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के छात्र संबंधी क्रियाकलापों/ शोध क्रियाकलापों में भागीदारी – (क) प्रशासनिक दायित्व जैसे कि मुखिया, अध्य क्ष / संकाय अध्यक्ष / निदेशक/ समन्वयक/ वार्डन आदि। (ख) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा सौंपी गई परीक्षा और मूल्यांकन ड्यूटी अथवा परीक्षा पत्र मूल्यांकन हेतु उपस्थित होना। (ग) छात्रों से संबंधित पाठ्क्रम से जुड़ी, विस्तार और क्षेत्र आधारित क्रियाकलापों जैसे कि विद्यार्थी क्लब, कॅरियर परामर्श, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठि और अन्य क्रियाकलाप, सांस्कृतिक, खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस और समाज सेवा। (घ)संगोष्ठियों/ सम्मेलन/ कार्यशालाएं अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय संबंधी क्रियाकलापों का आयोजन (ङ) पीएचडी छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्रिय भागीदारी के साक्ष्य। (च) राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित लघु और बृहद अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन। (छ) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सूची के जर्नल में कम से कम एक एकल या संयुक्त प्रकाशन।	अच्छा – कम से कम 3 क्रियाकलापों में भागीदारी संतोषजनक – 1 से 2 क्रियाकलाप असंतोषजनक – किसी भी क्रियाकलाप में भाग नहीं लेना/ कोई भी क्रियाकलाप नहीं करना। **नोट :** क्रियाकलापों की संख्या क्रियाकलापों की वृहद श्रेणी के अंतर्गत या सभी श्रेणियों को मिलाकर हो सकती है।

समग्र ग्रेडिंग :

बेहतर – शिक्षण में अच्छा है और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में संतोषजनक या अच्छा है।

अथवा

संतोषजनक – शिक्षण में संतोषजनक और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में अच्छा या संतोषजनक।

संतोषजनक नहीं है– यदि समग्र ग्रेडिंग में न तो अच्छा हो और न ही संतोषजनक हो।

नोटः क्रम संख्या 1 और 2 में दिये गए क्रियाकलापों की ग्रेडिंग के आकलन के प्रयोजन हेतु, ऐसी सभी अवधियाँ जो शिक्षकों द्वारा मातृत्व अवकाश, बाल परिचर्या अवकाश, अध्ययन छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी जैसी विभिन्न प्रकार की वैतनिक छुट्टियों पर व्यतीत की गई हैं और ग्रेडिंग आकलन में से प्रतिनियुक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। शिक्षक का शेष अवधि के लिए आकलन किया जाएगा और शिक्षक की ग्रेडिंग करने के लिए आकलन की सम्पूर्ण अवधि में से इन अवधियों को हटा दिया जाएगा। उपरोक्त वर्णित ऐसी छुट्टियों/ प्रतिनियुक्ति के कारण शिक्षक को सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति में शिक्षण दायित्वों से उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई नुकसान नहीं होगा बशर्ते ऐसी छुट्टियाँ/ प्रतिनियुक्ति इन विनियमों में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करके सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व–अनुमोदन से और मूल संस्थान के अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार ली गई हों।

तालिका– 2

शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसेः प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	शैक्षणिक / शोध क्रियाकलाप	विज्ञान/ अभियांत्रिकी/ कृषि/चिकित्सा/ पशु–चिकित्सा विज्ञान संकाय	भाषा/ मानविकी/कला/ सामाजिक विज्ञान/ पुस्तकालय/शिक्षा/ शारीरिक शिक्षा/ वाणिज्य / प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं
1	**समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र**	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र
2	**प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)**		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया :		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03
	पुस्तक	08	08
3	**आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान– अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास**		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या/ पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या/ पाठ्यक्रम
	(ग) एमओओसी		
	चार चतुर्थांश में पूर्ण एमओओसी का विकास (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 05 अंक/ क्रेडिट)	20	20
	प्रति मॉड्यूल/व्याख्यान एमओओसी (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	05
	विषयवस्तु लेखक/ एमओओसी के प्रत्येक मॉड्यूल हेतु विषयवस्तु विशेषज्ञ (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	02
	एमओओसी हेतु पाठ्यक्रम समन्वयक (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 02 अंक/क्रेडिट)	08	08
	(घ) ई– विषयवस्तु		
	पूर्ण पाठ्यक्रम / ई– पुस्तक हेतु चार चतुर्थांशों में ई– विषयवस्तु का विकास	12	12
	प्रति मॉड्यूल ई– विषयवस्तु (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	05
	समग्र पाठ्यक्रम/ पत्र/ ई–पुस्तक में ई– विषयवस्तु मॉड्यूल के विकास में योगदान (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	02

	संपूर्ण पाठ्यक्रम/ पत्र/ ई–पुस्तक हेतु ई– विषयवस्तु का संपादक	10	10
4	**(क) शोध मार्गदर्शन**		
	पीएचडी	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबंध	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबंध
	एम.फिल./ स्नातकोत्तर शोध प्रबंध	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि
	(ख) पूरी की गई शोध परियोजनाएं		
	10 लाख से अधिक	10	10
	10 लाख से कम	05	05
	(ग) जारी शोध परियोजनाएं :		
	10 लाख से अधिक	05	05
	10 लाख से कम	02	02
	(घ) परामर्शत्री सेवाएं	03	03
5	**(क) पेटेंट**		
	अंतर्राष्ट्रीय	10	10
	राष्ट्रीय	07	07
	(ख) *नीतिगत दस्तावेज (सं.रा.सं./ यूनेस्को/ विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय/संगठन को सौंपे गए)		
	अंतर्राष्ट्रीय	10	10
	राष्ट्रीय	07	07
	राज्य	04	04
	(क) पुरस्कार / अध्येतावृत्ति		
	अंतर्राष्ट्रीय	07	07
	राष्ट्रीय	05	05
6	***अतिथि व्याख्यान/ संसाधक/ संगोष्ठियों/ सम्मलेनों में पत्र प्रस्तुतीकरण/ सम्मलेन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र प्रस्तुत करना (संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए पत्र और सम्मलेन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र के रूप में प्रकाशित पत्रों की गणना सिर्फ एक बार की जाएगी)**		
	अंतर्राष्ट्रीय (विदेश)	07	07
	अंतर्राष्ट्रीय (देश के भीतर)	05	05
	राष्ट्रीय	03	03
	राज्य/ विश्वविद्यालय	02	02

सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल (थॉमसन रॉयटर्स की सूची के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले प्रभाव कारक) :

i. प्रभाव कारक रहित संदर्भित जर्नल में प्रकाशित पत्र – 5 अंक

ii. 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र – 10 अंक

iii. 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 15 अंक

iv. 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 20 अंक

v. 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 25 अंक

vi. 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र – 30 अंक

(क) दो लेखक : प्रत्येक लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत

(ख) दो से अधिक लेखक : प्रथम /मूल/संवादी लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत और प्रत्येक संयुक्त लेखकों हेतु प्रकाशन के कुल मान का 30 प्रतिशत

संयुक्त परियोजनाएं : मूल शोधकर्ता और सह– शोधकर्ता में से प्रत्येक को 50 प्रतिशत प्राप्त होगा

<u>नोट :</u>

- यदि संपादित पुस्तक अथवा कार्यवाहियों का भाग के रूप में पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर एक बार ही दावा किया जा सकता है।
- शोध विद्यार्थियों के संयुक्त पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक हेतु सूत्र, कुल प्राप्तांक का 70 प्रतिशत होगा। पर्यवेक्षक और सह– पर्यवेक्षक दोनों में से प्रत्येक को 7 अंक मिलेंगे।
- * शिक्षक के शोध अंकों की गणना करने के प्रयोजनार्थ 5(ख), नीतिगत दस्तावेज और 6 की श्रेणियों से संयुक्त शोध अंक, आमंत्रित व्याख्याता /संसाधक /पत्र प्रस्तुतीकरण संबंधित शिक्षक के कुल शोध अंकों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत की ऊपरी सीमा होगी।
- शोध प्राप्तांक 6 श्रेणियों में से कम से कम तीन श्रेणियों से होंगे।

<u>तालिका 3 क</u>

विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्यों के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड

क्रम संख्या	शैक्षणिक रिकॉर्ड	प्राप्तांक			
1	**स्नातक**	80 प्रतिशत और उससे अधिक=15	60 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत से कम= 13	55 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत से कम = 10	45 प्रतिशत से लेकर 55 प्रतिशत से कम =05
2	**स्नातकोत्तर**	80 प्रतिशत और उससे अधिक =25	60 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत से कम तक= 23	55 प्रतिशत लेकर (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 50 प्रतिशत (असंपन्न वर्ग) / शारीरिक रूप से निशक्त) से 60 प्रतिशत से कम = 20	
3	**एमफिल**	60 प्रतिशत और उससे अधिक = 07	55 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत से कम = 05		
4	**पीएचडी**	30			
5	**नेट सहित जेआरएफ**	07			
	नेट	05			
	एसएलईटी / एसईटी	03			
6	**शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)**	10			
7	**शिक्षण/ पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 2 अंक) #**	10			
8	**पुरस्कार**				
	अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय स्तर (अंतरराष्ट्रीय संगठनों/ भारत सरकार/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिए गए पुरस्कार)	03			
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार)	02			

 # तथापि, यदि शिक्षण/ पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंकों को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

नोट :

(क)

i. एमफिल + पीएचडी अधिकतम – 30 अंक

ii. जेआरएफ/ नेट/ सेट अधिकतम – 07 अंक

iii. अवार्ड की श्रेणी में अधिकतम – 03 अंक

(ख) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ग)

शैक्षणिक प्राप्तांक –	80
शोध प्रकाशन –	10
शिक्षण अनुभव –	10
कुल :	**100**

(घ) यह अंक संबंधित राज्यों के एसएलईटी/ सेट विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में नियुक्ति के लिए वैध होंगे।

तालिका 3 (ख)

महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड

क्रम संख्या	**शैक्षणिक रिकॉर्ड**	**प्राप्तांक**			
1	**स्नातक**	80 प्रतिशत और उससे अधिक = 21	60 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत से कम = 19	55 प्रतिशत से अधिक और 60 प्रतिशत से कम = 16	45 प्रतिशत से अधिक और 55 प्रतिशत से कम = 10
2	**स्नातकोत्तर**	80 प्रतिशत और उससे अधिक = 25	60 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत से कम =23	55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/ शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में 50 प्रतिशत) से अधिक और 60 प्रतिशत से कम = 20	
3	**एमफिल**	60 प्रतिशत और उससे अधिक= 07	55 प्रतिशत से अधिक और 60 प्रतिशत से कम = 05		
4	**पीएचडी**	25			
5	**जेआरएफ सहित नेट**	10			
	नेट	08			
	एसएलईटी/ सेट	05			
6	**शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)**	06			
7	**शिक्षण/ पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 2 अंक) #**	10			
8	**पुरस्कार**				
	अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय स्तर (अंतरराष्ट्रीय संगठनों/ भारत सरकार/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिए गए पुरस्कार)	03			
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार)	02			

 # तथापि यदि शिक्षण/ पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंकों को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

नोट :

(क)

i. एमफिल + पीएचडी अधिकतम – 25 अंक

ii. जेआरएफ/ नेट/ सेट अधिकतम – 10 अंक

iii. अवार्ड की श्रेणी में अधिकतम – 03 अंक

(ख) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ग)

शैक्षणिक प्राप्तांक – 84

शोध प्रकाशन – 06

शिक्षण अनुभव – 10

कुल : 100

(घ) एसएलईटी/ सेट प्राप्तांक केवल संबंधित राज्यों के विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में नियुक्ति के लिए वैध होंगे।

तालिका 4

पुस्तकाध्यक्ष हेतु आकलन मानदंड और पद्धति

क्रम संख्या	क्रियाकलाप	ग्रेडिंग मानदंड
1	पुस्तकालय में उपस्थित होने की नियमितता (उपस्थित होने के लिए अपेक्षित दिनों की कुल संख्या की तुलना में उपस्थित दिनों के प्रतिशत के संदर्भ में गणना) पुस्तकालय में उपस्थित होने के समय व्यक्ति से अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित कार्य करने की आशा की जाती है : • पुस्तकालय संसाधनों और संगठन तथा पुस्तकों, जर्नलों और रिपोर्टों का रखरखाव • पुस्तकालय पाठक सेवा जैसे शोधकर्ताओं से साहित्य प्राप्ति सेवाओं और रिपोर्ट के विश्लेषण का प्रावधान • संस्थागत वेबसाइट को अद्यतन करने में सहायता	90 प्रतिशत और उससे अधिक – अच्छा 90 प्रतिशत से कम लेकिन 80 प्रतिशत और उससे अधिक – संतोषजनक 80 प्रतिशत से कम – असंतोषजनक
2	पुस्तकालय कार्यकलाप से संबंधित अथवा विशिष्ट पुस्तक अथवा पुस्तकों की शैली के संबंध में संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं का आयोजन	अच्छा – 1 राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी/ कार्यशाला + 1 राज्य/ संस्था स्तर की कार्यशाला/ संगोष्ठी संतोषजनक – 1 राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी/ कार्यशाला अथवा 1 राज्य स्तर की संगोष्ठी/ कार्यशाला + 1 संस्था स्तरीय संगोष्ठी/ कार्यशाला अथवा 4 संस्था स्तरीय संगोष्ठी/ कार्यशाला असंतोषजनक – उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आने वाले
3	यदि पुस्तकालय में कंप्यूटरीकृत डॉटाबेस है तो *अथवा* यदि पुस्तकालय में कंप्यूटरीकृत डॉटाबेस नहीं है	अच्छा – कंप्यूटरीकृत डॉटाबेस में शतप्रतिशत वास्तविक पुस्तकें और जर्नल संतोषजनक – कंप्यूटरीकृत डॉटाबेस में कम से कम 99 प्रतिशत वास्तविक पुस्तकें और जर्नल असंतोषजनक – अच्छा अथवा संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले अथवा अच्छा – अद्यतन किया गया 100 प्रतिशत कैटलॉग डॉटाबेस

		संतोषजनक – अद्यतन किया गया 90 प्रतिशत कैटलॉग डॉटाबेस असंतोषजनक – कैटलॉग डॉटाबेस का अद्यतन नहीं होना (सीएएस संवर्धन समिति द्वारा औचक रूप से सत्यापित किया जाए)
4	वस्तुसूची और खोई हुई पुस्तकों की जांच करना	अच्छा – जांची गई वस्तुसूची और खोई हुई पुस्तकें 0.5 प्रतिशत से कम। संतोषजनक – जांची गई वस्तुसूची और खोई हुई पुस्तकें एक प्रतिशत से कम । असंतोषजनक – वस्तुसूची की जांच नहीं की गई हो अथवा जांची गई वस्तुसूची और खोई हुई पुस्तकें एक प्रतिशत अथवा उससे अधिक।
5	i. बिना कंप्यूटरीकृत डॉटाबेस वाली संस्था में पुस्तकों के डॉटाबेस का डिजिटलीकरण ii. पुस्तकालय नेटवर्क का संवर्धन iii. पुस्तकों और अन्य संसाधनों से संबंधित सूचनाओं का प्रसार करने के लिए प्रणाली की स्थापना । iv. दाखिले, परीक्षाओं और पाठ्येतर कार्यकलापों के दौरान किए गए कार्यों सहित महाविद्यालय प्रशासन और अभिशासन संबंधी कार्यों में सहायता प्रदान करना। v. उपयोगकर्ताओं हेतु अल्पकालिक पाठ्यक्रम तैयार करना और उनका संचालन करना। vi. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित जर्नल में कम से कम एक शोध पत्र का प्रकाशन करना।	अच्छा – किन्हीं दो कार्यकलापों में शामिल होना। संतोषजनक – कम से कम एक कार्यकलाप में शामिल होना। असंतोषजनक – किसी भी कार्यकलाप में शामिल ना होना / नहीं किया जाना।
समग्र ग्रेडिंग	अच्छा : मद 1 में अच्छा और मद 4 सहित किन्ही दो अन्य मदों में संतोषजनक/अच्छा संतोषजनक : मद 1 में संतोषजनक और मद 4 सहित किन्ही अन्य दो मदों में संतोषजनक/अच्छा असंतोषजनक : यदि समग्र ग्रेडिंग में न तो अच्छा है और न ही संतोषजनक।	

नोट :

1 – पुस्तकालय कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी करने और आकलन के मानदंड की गणना करने के लिए आईसीटी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

2 – पुस्तकाध्यक्ष को प्रकाशित पत्र, पुनश्चर्या अथवा प्रविधि पाठ्यक्रम में शामिल होने, संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से सफलतापूर्वक शोध मार्गदर्शन करने, परियोजना पूर्ण करने संबंधी साक्ष्य को संबंधित विभाग को सौंपना होगा ।

3 – उपयोगकर्ताओं की शिकायतों की निगरानी करने की प्रणाली और जिस सीमा तक शिकायतों के समाधान किया गया उस संबंध में ब्योरा भी सीएएस प्रोन्नति समिति को उपलब्ध कराया जाए।

तालिका 5

शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशकों हेतु आकलन मानदंड और पद्धति

क्रम संख्या	क्रियाकलाप	ग्रेडिंग मानदंड
1	उपस्थिति को जितने दिनों तक महाविद्यालय में उपस्थित हुए हैं की तुलना में जितने दिन उनसे उपस्थित रहने की आशा की जाती है के संदर्भ में प्रतिशत में परिकलन किया जाता है।	90 और उससे अधिक – अच्छा 80 से अधिक लेकिन 90 से कम – संतोषजनक 80 से कम – असंतोषजनक

2	अंतर्महाविद्यालयी प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन	अच्छा – 5 से अधिक विधाओं में अंतर्महाविद्यालयी प्रतिस्पर्धाएं। संतोषजनक – 3 से 5 विधाओं में अंतर्महाविद्यालयी प्रतिस्पर्धाएं। असंतोषजनक – न ही अच्छा और न ही संतोषजनक
3	बाह्य प्रतिस्पर्धाओं में संस्थान की भागीदारी	अच्छा – कम से कम एक विधा में राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा और कम से कम तीन विधाओं में राज्य / जिला स्तर की प्रतिस्पर्धा संतोषजनक – कम से कम एक विधा में राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा और कम से कम तीन विधाओं में जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा अथवा कम से कम 5 विधाओं में जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा असंतोषजनक – न तो अच्छा और न ही संतोषजनक
4	वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय आगतों के साथ खेलकूद और शारीरिक प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन। खेलकूद के मैदानों और खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा सुविधाओं का विकास और रखरखाव ।	अच्छा/ संतोषजनक/ असंतोषजनक का आकलन प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा।
5	i. संस्थान के कम से कम एक विद्यार्थी राष्ट्रीय /राज्य /विश्वविद्यालय की टीमों (केवल महाविद्यालय स्तरों के लिए) में भागीदारी करता है। राज्य /राष्ट्रीय /अंतर्विश्वविद्यालय/ अंतर्महाविद्यालय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन। ii. राज्य/ राष्ट्रीय स्तर पर अनुशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जाना । iii. वर्ष में कम से कम तीन कार्यशालाओं का आयोजन iv. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित जर्नल में कम से कम एक शोध पत्र का प्रकाशन। दाखिले, परीक्षाओं और पाठ्येतर कार्यकलापों के दौरान किए गए कार्य सहित महाविद्यालय प्रशासन और अभिशासन संबंधी कार्य में सहायता।	अच्छा : किन्हीं दो कार्यकलापों में शामिल होना। संतोषजनक : एक कार्यकलाप असंतोषजनक : किसी भी कार्यकलाप में शामिल ना होना / आरंभ नहीं किया जाना।
समग्र ग्रेडिंग :	अच्छा : मद 1 में अच्छा और किन्हीं अन्य दो मदों में संतोषजनक/ अच्छा संतोषजनक : मद 1 में संतोषजनक और किन्ही अन्य दो मदों में संतोषजनक/ अच्छा असंतोषजनक : यदि समग्र ग्रेडिंग में न तो अच्छा है और न ही संतोषजनक।	

नोट :

1– खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी करने और मूल्यांकन के मानदंड की गणना करने के लिए आईसीटी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

2– संस्थान को छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रतिक्रिया को संबंधित शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक तथा सीएएस प्रोन्नति समिति के साथ भी साझा करना चाहिए।

3– उपयोगकर्ताओं की शिकायतों की निगरानी करने की प्रणाली और किस सीमा तक शिकायतों का निवारण किया गया, इस संबंध में ब्योरा भी सीएएस प्रोन्नति समिति को उपलब्ध कराया जाए।